Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

जनवरी-फ़रवरी 2024
साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स
29/01/2024 से 04/02/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन और व्यक्ति की निजता की सुरक्षा	1 - 8
2.	लोकलुभावनवाद भारत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है	8 - 14
3.	आंतरिक महिला प्रवासन की धुंधली तस्वीर और प्रवासी महिला कामगारों की समस्याएं	15 - 22
4.	भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी	22 - 30
5.	जनसंख्या संबंधी प्राथमिकताएं: अंतरिम बजट 2024 और जनगणना	31 - 39

करंट अफेयर्स
जनवरी-फ़रवरी 2024

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन और व्यक्ति की निजता की सुरक्षा

Yojna IAS

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी ।

सामान्य अध्ययन – पेपर 3 – निजता की सुरक्षा , मौलिक अधिकार , सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर, डेटा सुरक्षा, डेटा सुरक्षा कानून, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के लाभ और हानि।

खबरों में क्यों ?

- भारत के द्वारा पूरे देश के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) के अनुपालन के संदर्भ में एक ओर जहाँ व्हाट्सएप के प्रमुख ने कहा है कि – **" व्हाट्सएप भारत के ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) का अनुपालन नहीं करेगा, जो प्रभावी रूप से एंड-टू-एंड (E2E) एन्क्रिप्शन को प्रतिबंधित करता है ।"** वहीं Apple ने यह घोषणा की है कि- **"वह आईक्लाउड (iCloud) पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) द्वारा संरक्षित डेटा पॉइंट्स को 14 से 23 श्रेणियों तक और बढ़ाएगा, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं की निजता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।"**

डेटा-ब्रीच-रिसर्च (DATA-BREACH-RESEARCH) को साझा करने का मुख्य उद्देश्य :

- हाल ही में Apple कंपनी द्वारा करवाए गए एक सर्वे – रिसर्च, जिसे डेटा-ब्रीच-रिसर्च (data-breach-research)

भी कहा जाता है, के मुताबिक – भारत में वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2021 के दौरान डेटा ब्रीच की कुल संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है। केवल वर्ष 2021 ई . में ही 1.1 अरब व्यक्तिगत रिकॉर्ड का डेटा सामने आया है।

- इस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ, यदि क्लाउड में किसी तरह से भी किसी का व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन होता है , वैसी स्थिति में भी उपयोगकर्त्ता का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। कुछ वित्त पोषित समूहों द्वारा शुरू किए गए हैकिंग हमलों से निपटने के लिए भी निजता का अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी इस एन्क्रिप्शन की अतिरिक्त परत / स्तर किसी भी तरह से डेटा चोरी और अन्य सुरक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत मूल्यवान साबित होगी।

एन्क्रिप्शन क्या है ?

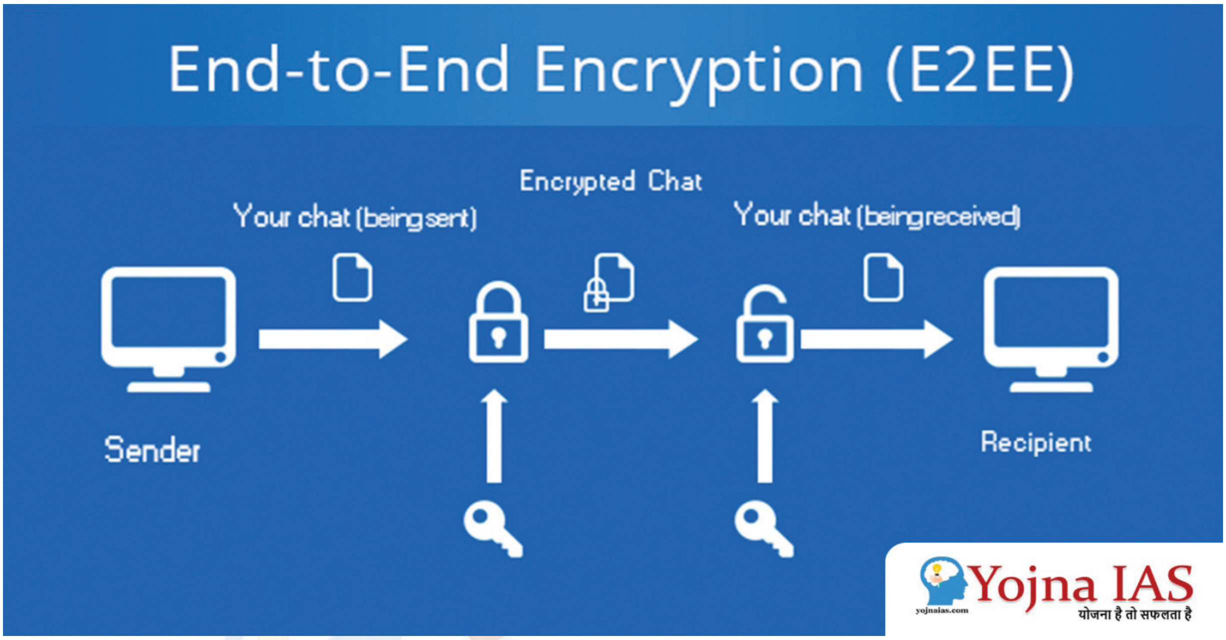

- डेटा को अनाधिकृत पहुंच या छेड़छाड़ से बचाने का एक तरीका को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में डेटा को एक गुप्त कोड में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है, जिसमें केवल और केवल लक्षित या इच्छित प्राप्तकर्ता ही इसे समझ सकता है। यह विभिन्न मामलों के लिए उपयोगी होता है। जैसे – आपसी ऑनलाइन संचार को सुरक्षित करना, आपस में संवेदनशील जानकारी संग्रहीत करना और अपनी डिजिटल पहचान को सत्यापित करना, आदि ।

एन्क्रिप्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं –

1. सममित और
2. असममित।

- सममित एन्क्रिप्शन डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही कुंजी का उपयोग करता है, जबकि अस-ममित एन्क्रिप्शन कुंजी की एक जोड़ी का उपयोग करता है – एक सार्वजनिक और एक निजी। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सार्वजनिक कुंजी को किसी के साथ भी साझा किया जा सकता है, लेकिनअसममित एन्क्रिप्शन में निजी कुंजी को हमेशा गुप्त रखा जाता है ।

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन की कार्य करने की प्रणाली :

- किसी भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पारगमन या दो उपकरणों के बीच साझा किये जा रहे डेटा में डेटा की सुरक्षा के लिए एक सुंदर लेकिन जटिल क्रिप्टोग्राफ़िक प्रणाली पर निर्भर रहता / करता है। मुख्य तत्व असममित क्रिप्टोग्राफी

है, जो संचार को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक और निजी – कुंजी के जोड़े का उपयोग करता है। सार्वजनिक कुंजी डेटा को एन्क्रिप्ट करती है, जबकि निजी कुंजी इसे डिक्रिप्ट करती है।

- यह एक ऐसे संचार प्रक्रिया है जो दो उपकरणों के बीच साझा किये जा रहे डेटा को एन्क्रिप्ट करती है।
- यह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs), क्लाउड सेवा प्रदाताओं और साइबर अपराधियों जैसे तीसरे पक्षों को डेटा तक पहुँचने से रोकता है, खास तौर पर तब, जब किसी की भी व्यक्तिगत डेटा को स्थानांतरित किया जा रहा हो।

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन में कार्य करने वाले तंत्रीय – व्यवस्था :

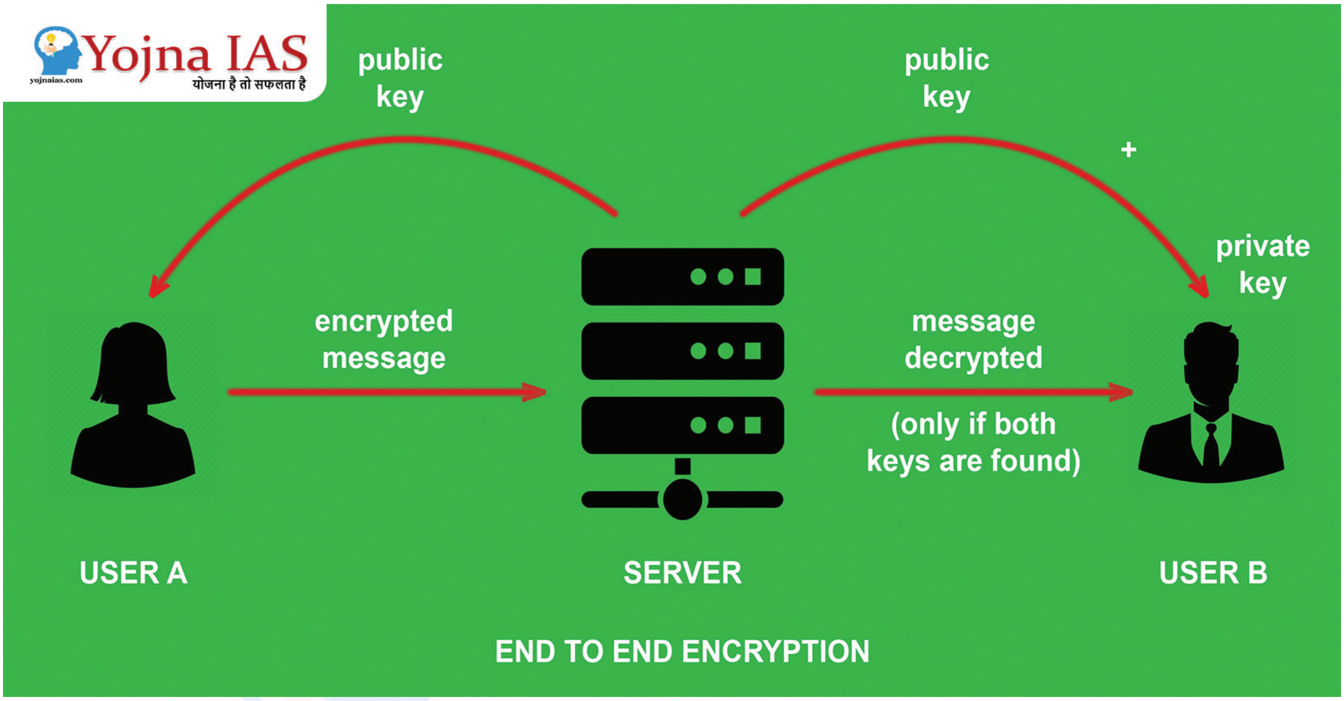

- संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिये उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को एंडपॉइंट्स पर संग्रहीत किया जाता है।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की प्रक्रिया एक एल्गोरिथ्म का उपयोग करती है जो मानक पाठ को अपठनीय प्रारूप में बदल देती है।
- इस प्रारूप को केवल डिक्रिप्शन कुंजियों वाले लोगों द्वारा खोला या पढ़ा जा सकता है, जो केवल एंडपॉइंट्सं पर संग्रहीत होते हैं और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों सहित किसी भी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाता है ।

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन का आपसी संचार में उपयोगिता :

- भारत में एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन का आमतौर पर उपयोग व्यावसायिक दस्तावेज़ों, वित्तीय विवरणों, कानूनी कार्यवाहियों और व्यक्तिगत वार्तालापों को स्थानांतरित करने के समय बहुत दिनों से किया जा रहा है।
- किसी भी संग्रहीत डेटा तक पहुँचने के दौरान इसका उपयोग उपयोगकर्त्ताओं के प्राधिकरण को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है।
- उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं के लिए आपस में होने वाले आपसी संचार को सुरक्षित करने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है।

- आमतौर पर किसी भी पासवर्ड को सुरक्षित करने, संग्रहीत डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और क्लाउड स्टोरेज पर डेटा की सुरक्षा की अनंतिम सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

ब्रिटिश ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक :

- ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के लिए,ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर **'ड्यूटी ऑफ केयर'** के दायित्त्वों को लागू करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) एक ब्रिटिश प्रस्तावित कानून है। जिसका कार्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करने से प्रेरित है।
- **आतंकवाद और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार (CSEA) सामग्री** की पहचान करने एवं ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) का खंड 110 नियामक को अधिकांश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें निजी मैसेजिंग एप भी शामिल हैं, ताकि आतंकवाद और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार (CSEA) की जाँच कर उसे इंटरनेट प्लेटफार्मों से तत्काल हटाया जा सके।
- ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को हटाने का आदेश नहीं देता है किंतु ऐसी सामग्री को चिह्नित करने के लिए किसी भी मैसेजिंग एप को सभी संदेशों को स्कैन करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है वास्तव में एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षा तंत्र को तोड़ना।
- ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) को **व्यक्ति की निजता और अभिव्यक्ति की आज़ादी** जैसे मौलिक अधिकारों द्वारा एक विरोधाभासी रूप में देखा जाता है जो राज्य या सरकारों द्वारा व्यक्ति की निजता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों पर पाबंदी लगाने एवं उस पर निगरानी रखने की अनुमति देता है।

भारत में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 :

भारत सरकार द्वारा लाया गया यह अधिनियम देश में संचार के इलेक्ट्रॉनिक और वायरलेस मोड को नियंत्रित और दिशा – निर्देशित करता है। यह एन्क्रिप्शन संबंधी किसी भी ठोस प्रावधान को करने या ठोस स्तर पर किसी भी सख्त नीति – निर्माण से छूट प्रदान कर देता है , जिससे उपभोक्ताओं की निजता का सवाल की दृष्टिकोण से यह अधिनियम हमें चिंतनीय बनाता और यह भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ठोस दिशा – निर्देश बनाने की मांग भी करता है।

डिजिटल मीडिया आचार संहिता – नियम, 2021 :

- जिसे आमतौर पर ट्रेसेबिलिटी कहा जाता है के माध्यम से भारत सरकार ने भारत में पाँच मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों के लिये संदेश के ‘ **पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करना’** अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने यह अनिवार्यता सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के माध्यम से किया है।
- यह सर्वप्रथम संदेश भेजने वाले वाले व्यक्ति के बारे में है जिसने किसी संदेश को कितनी बार भेजा है और वह उसे कई बार अग्रेषित किया है’ यह जानकारी भी इस आचार संहिता नियम में निहित है।
- भारत में व्हाट्सएप की प्रवेश दर 97% से अधिक है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह लगभग 75% है। क्योंकि भारत में 487.5 मिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्त्ता हैं जहाँ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 22% अर्थात् 2.24 बिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्त्ता उपभोक्ता शामिल हैं।

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन से होने वाले लाभ (E2EE) :

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन आपसी संप्रेषण में सुरक्षा प्रदान करने में सहायक :

- एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन आपसी संप्रेषण में सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है क्योंकि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है, जो एंडपॉइंट उपकरणों पर निजी कुंजी संग्रहीत करता है। संदेशों को केवल इन कुंजियों का उपयोग करके डिक्रिप्ट किया जा सकता है, इसलिये केवल एंडपॉइंट डिवाइस तक पहुँच रखने वाले लोग ही संदेश को पढ़ने में सक्षम होते हैं।

तृतीय पक्ष से सुरक्षित रखने में मददगार :

- एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) यह भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है कि उपभोक्ता या उपयोगकर्त्ता इंटरनेट डेटा सेवा प्रदाताओं, क्लाउड स्टोरेज प्रदाताओं और एन्क्रिप्टेड डेटा को प्रबंधित करने वाली कंपनियों सहित अनुचित पार्टियों से सुरक्षित रहें या उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य करता है।

यह किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त होता है :

- डिक्रिप्शन कुंजी को E2EE के साथ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता के पास पहले से ही मौज़ूद होती है।
- यदि सार्वजनिक कुंजी के साथ एन्क्रिप्ट किया गया किसी संदेश भेजे जाने के दौरान किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है, तो प्राप्तकर्त्ता इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा छेड़छाड़ की गई सामग्री तक पहुँच की सुविधा भी नहीं रहेगी।

अपठनीय और सरकारी नियमों के अनुपालन को बाध्य :

- यह कई उद्योग विनियामक कानूनों / शर्तों या अनुपालन कानूनों से बँधे होते हैं, जिनके लिए एन्क्रिप्शन – स्तर की डेटा सुरक्षा की प्राथमिक आवश्यकता होती है। अतः एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) डेटा को अपठनीय बनाकर उसे सुरक्षित रखने में संगठनों की मदद कर सकता है।

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) से होने वाली हानि:

यह समापन बिंदुओं को परिभाषित करने में अत्यंत जटिल होता है :

- भारत में कुछ एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) को कार्यान्वयन करने के लिए एन्क्रिप्टेड डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान कुछ बिंदुओं पर एन्क्रिप्ट और पुनः एन्क्रिप्ट करने की अनुमति देते हैं।

- इसमें यह संचार सर्किट के समापन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित और अलग – अलग करता है। यदि एंड-पॉइंट्स/समापन बिंदुओं से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है, तो एन्क्रिप्टेड डेटा जाहिर हो सकता है। अतः यह संचार सर्किट के समापन बिन्दओं को परिभाषित करने में अत्यंत जटिल होता है।

गोपनीयता का अत्यधिक प्रावधान :

- इसमें सरकार और सरकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ हमेशा चिंता व्यक्त करती रहती हैं कि एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) अवैध सामग्री साझा करने वाले लोगों की रक्षा कर सकता है क्योंकि सेवा प्रदाता कानून प्रवर्तन को सामग्री तक पहुँच प्रदान करने में असमर्थ होता हैं।

मेटाडेटा हेतु सुरक्षा का अभाव और डेटा का दुरुपयोग करने वालों के लिए सहायक :

- किसी भी प्रकार के आपसी संप्रेषण में संदेश एन्क्रिप्टेड होते हैं, सन्देश से संबंधित सूचना जैसे संदेश की तिथि और भेजने वाले की जानकारी आदि सभी जानकारी संदेश भेजने के बाद भी दिखाई देता है, जिससे यह यह डेटा का किसी भी तरह से दुरुपयोग करने वालों के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है।

भारत में वर्तमान समय में एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) के लिए मौजूद कानूनी ढाँचा :

भारत में मौजूदा समय में एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) संबंधी किसी भी विशिष्ट कानून का अभाव :

- वर्त्तमान समय में भारत में एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) संबंधी कोई भी विशिष्ट कानून नहीं है। हालाँकि, बैंकिंग, वित्त और दूरसंचार उद्योगों को नियंत्रित करने वाले कई उद्योग मानदंडों में न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानक शामिल तो हैं जिनका उपयोग आपसी लेनदेन की सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन यह कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है और इसकी आम उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुँच नहीं हो पाई है ।

एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध :

- वर्तमान समय में भारत में ISP और DoT के बीच लाइसेंसिंग समझौते के शर्तों के मुताबिक – उपभोक्ताओं या उपयोगकर्त्ताओं को पूर्व मंज़ूरी के बिना सममित (सिमिट्रिक) कुंजी एल्गोरिदम या तुलनीय तरीकों का उपयोग करके 40 बिट्स से बड़े एन्क्रिप्शन मानकों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जबकि भारत में ही ऐसे कई अतिरिक्त नियम और अनुशंसाएँ हैं जो भारत के विशेष क्षेत्रों के लिए 40 बिट्स से अधिक एन्क्रिप्शन स्तर का उपयोग करते हैं।

निष्कर्ष : / समाधान की राह :

- भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के माध्यम से भारत सरकार व्यक्तियों के निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करते हुए इन सोशल मैसेजिंग प्लेटफार्म को स्व – नियमन को प्रेरित करने का प्रयास करती रहती है और उपभोक्ताओं की निजता को ध्यान में रखते हुए इन मैसेजिंग प्लेटफार्मों को दिशा – निर्देशित भी करती रहती है , किन्तु फिर भी कुछ आलोचनाएँ हैं जिसको व्यक्ति के निजता के मुद्दे से संबंधित होने के कारण इस ओर सरकारी विनियमन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराती रहती है। इसका समाधान ढूंढकर ही भारत को एक लोकतंत्रात्मक एवं जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा की पुष्टि की जा सकती है।

मानव अधिकार समझौते का पालन नहीं करते IT नियम :

भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियम मानव अधिकार समझौते के तहत **अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक और उनके राजनीतिक अधिकारों के नियम (ICCPR)** का उल्लंघन करते हैं। ICCPR के अनुच्छेद 19 (3) में बोलने और खुद के विचार रखने की आज़ादी होती है। जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनमत या जन स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए है। कहा जा रहा है कि नए IT नियम से ये सारी चीजें रुक रही हैं।

इससे आम यूजर्स का डाटा सरकार मैनेज करेगी:

- भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून होने के बावजूद स्पेशल मैसेंजर्स कंपनी का कहना है कि सरकार कंपनी को मॉनिटर करके तेजी से यूजर्स जनरेटेड कंटेंट को हटाया जा रहा है। इससे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होता है। भारत के आम नागरिकों नें इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंटेंट को हटाने वाला सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ताओं और कंपनी के बीच में काम करने वाले इसका गलत फायदा उठा सकते हैं।

भारत सरकार और वॉट्सऐप में विवाद का मुख्य कारण :

- वॉट्सऐप वाली एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) टेक्नोलॉजी को लेकर भारत सरकार और वॉट्सऐप में विवाद जारी है। पिछले महीने वॉट्सऐप ने IT नियम का विरोध किया था। आरोप लगाया था कि इससे उपभोक्ताओं के निजता का अधिकार खतरे में है। UN शुरू से ही एंड – टू – एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) को सहयोग करता रहा है। इनका मानना है कि यह एक प्रभावी टेक्निकल सेफगार्ड है। इससे निजता के अधिकार की सुरक्षा होती है।

भारत की एकता और अखंडता की रक्षा एवं सांप्रदायिक दंगों / हिंसाओं को रोकने के लिए सरकार डेटा लेती है :

- जब कोई हिंसा या भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले मैसेज वायरल होते हैं। किसी महिला को आपतिजनक स्थिति में या गलत तरीके से दिखाया जा रहा हो या बच्चों से संबंधित सेक्सुअल इश्यू की पड़ताल करनी होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ताकि मैसेज को किसने और किस मकसद से फैलाया है इसका पता लगाया जा सके।
- ट्रेसेब्लिटी के नियम को लेकर वॉट्सऐप और भारत सरकार में तनाव की स्थिति है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को यूजर्स की प्राइवेसी के लिए बनाया गया है। सरकार का तर्क है कि उन्हें सभी यूजर्स के मैसेज को पढ़ने को मिले तो वह सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले का आसानी से पता लगा लेंगे और भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित करते हुए किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगों या हिंसा को रोका जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के लिए,ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर 'ड्यूटी ऑफ केयर' के दायित्त्वों को लागू करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) एक ब्रिटिश प्रस्तावित कानून है।

2. आतंकवाद और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार (CSEA) सामग्री की पहचान करने एवं ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक (OSB) का खंड 110 नियामक को अधिकांश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।

3. ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से भारत सरकार ने भारत में पाँच मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ताओं वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों के लिये संदेश के ' पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करना' अनिवार्य कर दिया है।

4. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन चार प्रकार के होते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 2 और 4

(B) केवल 2 , 3 और 4

(C) केवल 2 और 4

(D) केवल 1, 2 और 3

उत्तर – (D).

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 भारत में मौजूद वर्तमान ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक और व्यक्ति की निजता एवं अभिव्यक्ति का अधिकार किस तरह एक – दूसरे का विरोधभासी है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

लोकलुभावनवाद भारत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है

स्त्रोत्र – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन : भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास , राजकोषीय घाटा , लोकलुभावनवादी घोषनाएं और योजनाएं, सब्सिडी, नकद हस्तांतरण।

ख़बरों में क्यों ?

"किसी आदमी को एक मछली दो तो तुम एक दिन के लिए उसका पेट भरोगे लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिए उसके पेट भरने का उपाय कर दोगे।" ("Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime.")

- हाल ही में भारत सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगाह किया है कि देश के कई राज्यों का कर्ज बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सब्सिडी और नकदी हस्तांतरण के बोझ से सरकारों के खजाने कराहने लगे हैं। जिससे समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि उस पर तत्काल ध्यान देना होगा। यह सिलसिला यदि यूं ही चलता रहा तो फिर कोई उपाय भी कारगर नहीं रह जाएगा। इस तरह की राजनीति में कोई भी दल और कोई भी राज्य किसी से पीछे नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के राजनीतिक-आर्थिक ढांचे में कल्याण-कारी लोकलुभावनवाद की एक नई लहर चली है। यह चाहे केंद्र में हो या फिर राज्यों के स्तर पर, उनके उनके बीच एक होड़ सी दिख रही है। वे कर्ज माफी, गैस सिलेंडर और नकदी हस्तांतरण जैसी चीजों पर जोर दे रहे हैं। जिसके कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी हो रही है। कुल मिलाकर, तमाम सरकारें अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने में लगी हैं।

- यह भी सच है कि कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। जैसे कि केंद्र सरकार की खाद्य सब्सिडी। कोविड महामारी के काल में सरकार द्वारा की गई पहल इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध हुई। फिर भी एक सवाल अवश्य उठता है कि भारत में जहां सरकारी खजाना पहले से ही दबाव में है वहां खुले हाथ से खर्च जारी रखना कितना तार्किक होगा। वह भी तब जब यह राजस्व जुटाने के अतिरिक्त उपाय तलाशने के बिना ही यह किया जा रहा हो।

- खर्च के रुझान में इस बदलाव के पीछे स्वाभाविक रूप से चुनावी नैया पार लगाने वाला पहलू है। भारत में चुनाव एक तरह से प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद का अखाड़ा बन चुके हैं, जिसमें नेता किसी भी कीमत पर जीत का दांव लगाने की जुगत भिड़ाते हैं। व्यापक रूप से यही माना जाता है कि मतदाता ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का अहसान किसी पार्टी के पक्ष में मतदान से चुकाते हैं। इतने बड़े स्तर पर इन योजनाओं में होने वाले खर्च के कारण यह मुद्दा भारत के उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत जुलाई, 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य मामले में चुनाव आयोग को न्यायालय में बुला चुकी है। मुफ्तखोरी से जुड़े मामले में बीते दिनों फिर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस आशय की एक याचिका लगाई थी। उनकी अर्जी चुनाव आयोग को संबोधित है कि क्या आयोग ऐसी नियमावली बना सकता है जो राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्र में किए जाने वालों वादों को लेकर अनुशासित बना सके। अपने जवाब में आयोग ने कहा कि – **"किसी भी तरह के कानूनी अधिकार के अभाव में वह इस मामले में कुछ ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है कि ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से अव्यावहारिक और सरकारी खजाने की सेहत के लिए खतरनाक हैं। इसका निर्णय तो मतदाताओं को ही करना होगा।"**

ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2024 के आगामी चुनावों को देखते हुए, लोकलुभावनवाद में किए गए वायदों से भारत की आर्थिक सुधार की धीमी गति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जिसके प्रमुख कुछ बिंदु निम्नलिखित है –

- सरकार ने 2025-26 तक के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के मध्यम अवधि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा

है। यह तीन वित्तीय वर्षों के वर्तमान स्तर से 2% कम है।

- 2023-24 में केंद्र और राज्यों के लिए यह क्रमशः 5.9% और 3% है। इसमें बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए आधे प्रतिशत की छूट रखी गई है।
- राज्यों के पास राजकोषीय घाटे से बचने के रास्ते होते हैं, लेकिन मुफ्त बिजली और खाद्यान्न के वायदों के चलते वे हासिल नहीं किए जाते हैं। उधर, केंद्र सरकार आर्थिक सुधार के लिए पूंजी खर्च करने को तैयार है, और राज्यों को राजकोषीय संतुलन के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
- वैश्विक स्तर पर फिलहाल उच्च ब्याज दर चल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार छोटे उद्यमों में ऋण प्रवाह को बनाए रखने के लिए परेशान हो रही है। अब एक ही उपाय बचता है कि सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखकर क्रेडिट कॉस्ट को भी नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद ही बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान मिल सकता है।
- राज्यों ने अपनी परेशानी स्वयं ही बढ़ा रखी है। मुफ्त बिजली के राजनीतिक वायदों को निपटाने का अतिरिक्त भार ओढ़ रखा है। चूंकि बिजली से होने वाली आय, राज्यों के लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए अब राज्य उत्पादन और संचरण में निवेश नहीं कर पा रहे हैं।

कल्याण का ऐसा राजनीतिक स्वरूप बाजार तंत्र को तो बिगाड़ता ही है, साथ ही असमानता को भी बनाए रखता है। सार्वभौमिक संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए नकद हस्तांतरण को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही समावेशी विकास का असफल प्रयत्न किया है। दृष्टिकोण बदलते हुए अब समूहों में कल्याण की समान योजनाओं को चलाया जा रहा है। इस दृष्टिकोण ने अनेक वैश्विक संकटों से अर्थव्यवस्था को उबारा है। अब मुफ्त देनदारियों की प्रतिस्पर्धी घोषणाओं से इसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इससे भारत की विकास गति धीमी पड़ सकती है।

फ्रीबीज़ (निःशुल्क) :

भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में फ्रीबीज़ को "एक लोक कल्याणकारी उपाय (जो निःशुल्क प्रदान किया जाता है)" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि फ्रीबीज़ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे व्यापक एवं दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली सार्वजनिक/ मेरिट वस्तुओं (public/merit goods) से अलग होता हैं।

फ्रीबीज़ (निःशुल्क) और कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) में मूलभूत अंतर :

समाज और लाभार्थियों पर पड़नेवाले दीर्घकालिक प्रभाव के आलोक में निःशुल्कता/ फ्रीबीज़ और वेलफेयर या कल्याणकारी योजनाओं के बीच के अंतर को समझा जा सकता है। कल्याणकारी योजनाओं से राज्य या समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि निःशुल्कता/ फ्रीबीज़ दूसरे पर या राज्य पर निर्भरता या विकृति उत्पन्न कर सकता हैं।

- एक ओर जहाँ फ्रीबीज़ वे वस्तुएँ और सेवाएँ हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के मुफ़्त में प्रदान की जाती हैं। इसे आमतौर पर अल्पावधि में लक्षित आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इस तरह के कार्य प्रायः मतदाताओं को लुभाने या लोकलुभावन वादों के साथ रिश्वत देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। निःशुल्क लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली, पानी आदि उपलब्ध कराना फ्रीबीज़ के कुछ उदाहरण हैं।
- वहीं दूसरी ओर कल्याणकारी योजनाएँ सुविचारित योजनाएँ होती हैं जिनका उद्देश्य लक्षित आबादी को लाभान्वित करना और उनके जीवन स्तर के साथ संसाधनों तक आसानी से पहुँच में सुधार करना होता है। यह आमतौर पर नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुपालन में) की पूर्ति करने का उद्देश्य रखती हैं। इन्हें अक्सर सामाजिक न्याय, समता और मानव विकास को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), मध्याह्न भोजन योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं के कुछ उदाहरण हैं।

लोकलुभावनवाद निः शुल्कता से होने वाले लाभ :

- **सार्वजनिक – संलग्नता और सर्वजन तक पहुँच :** किसी भी सरकार द्वारा शुरू की गई निःशुल्क योजनाएं सरकार के प्रति जनता के भरोसे एवं संतुष्टि में अत्यधिक वृद्धि करते हैं, क्योंकि इस प्रकार कोई भी राज्य या केंद्र सरकार लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त निःशुल्क योजनाएं सरकार और नागरिकों के बीच प्रतिक्रिया एवं संवाद के अवसरों का सृजन करती है , जिससे लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ संवृद्धि हो सकती है।

- **सरकार के प्रति सकारात्मक प्रभाव :** **'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च'** के एक अध्ययन में पाया गया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लैपटॉप, साइकिल एवं नकद हस्तांतरण जैसी निःशुल्क योजनाएं मतदाता के रुझान, उनकी राजनीतिक जागरूकता और उनका सरकार के प्रति संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- **कार्यबल की उत्पादक क्षमता में वृद्धि और आर्थिक विकास:** निःशुल्क योजनाएं कार्यबल की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करके (विशेष रूप से कम विकसित क्षेत्रों में) आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लैपटॉप, साइकिल या सिलाई मशीन जैसी निःशुल्क योजनाएं गरीब एवं ग्रामीण आबादी के कौशल, गतिशीलता एवं आय के अवसरों को बढ़ा सकते हैं।

- **स्कूल ड्रॉपआउट दर में सुधार लाना :** नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में स्कूली छात्राओं को साइकिल जैसे निःशुल्क योजनाएं प्रदान करने से उनके नामांकन में वृद्धि हुई है। इसके साथ – ही – साथ स्कूल ड्रॉपआउट दर में भी कमी आई है और बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रतिफल (learning outcomes) में सुधार हुआ है।

- **जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने एवं समाज कल्याण में सहायक :** निःशुल्क योजनाएं समाज के वंचित , गरीब और हाशिये पर स्थित वर्गों को खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए – स्कूल के लिए यूनिफ़ॉर्म, पाठ्यपुस्तक या स्वास्थ्य बीमा जैसी निःशुल्क योजनाएं ज़रूरतमंद जाति , समुदायों या वंचित समूहों के बीच साक्षरता, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।

- **निर्धनता अनुपात को कम करने में सहायक :** विश्व बैंक के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि सार्वजनिक वितरण – प्रणाली (PDS) के तहत खाद्य सब्सिडी निःशुल्क योजनाएं ने भारत में निर्धनता अनुपात को 7% तक कम करने में भूमिका निभाई है।

- **विनाशकारी स्वास्थ्य आघातों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका :** NSSO के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा जैसी निःशुल्क योजनाओं ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (BPL households) के लिए जेब के खर्च (Out-of-pocket expenditure) और विनाशकारी स्वास्थ्य आघातों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **गरीबी और आय असमानता को कम करने में सहायक :** निःशुल्क योजनाएं धन एवं संसाधनों को अधिक समान रूप से पुनर्वितरित करके आय असमानता एवं गरीबी को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऋण माफी या नकद हस्तांतरण जैसे निःशुल्क योजनाएं ऋणी या निम्न आय वाले परिवारों को संपत्ति, ऋण या एक निश्चित आय तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सशक्त बना सकते हैं।

- **किसानों की साख क्षमता में सुधार :** भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट में पाया गया कि ऋण माफी से ऋण बोझ से राहत मिली है और अधिसंख्यक संकटग्रस्त किसानों की साख क्षमता में सुधार हुआ है।

लोकलुभावनवाद निः शुल्कता से होने वाली हानियाँ :

- **आत्मनिर्भर बनाने में अवरोधक:** निःशुल्क योजनाओं को प्राप्त करने वाले समूहों के बीच निःशुल्क योजनाएं उनमें आत्मनिर्भरता और पात्रता के एक नकारात्मक पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं, जिससे यह भविष्य में और अधिक निःशुल्क योजनाओं की उम्मीद कर सकते हैं। जिससे वे कठिन श्रम करने या करों का भुगतान करने के लिए कम प्रेरित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए – 1 रुपए प्रति किलो चावल या शून्य लागत पर बिजली जैसे निःशुल्क योजनाएं लाभार्थियों को राज्य के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेही की भावना को कम कर सकती हैं और उन्हें हमेश बाह्य सहायता पर निर्भर रहने वाले समूह में बदल सकते हैं। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के एक सर्वेक्षण से पता चला कि तमिलनाडु में 41% मतदाताओं ने मतदान के लिए निःशुल्क योजनाओं को एक महत्त्वपूर्ण कारक माना, जबकि 59% ने कहा कि वे राज्य सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।

- **ऋण और मुद्रास्फीति में वृद्धि और राजकोषीय घाटा में वृद्धि :** निःशुल्क योजनाओं का राज्य या देश के राजकोषीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकता हैं, क्योंकि इससे सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, घाटे, ऋण और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए कृषि ऋण माफी, बेरोज़गारी भत्ते या पेंशन योजनाओं जैसे निःशुल्क योजनायें सरकार के बजटीय संसाधनों और राजकोषीय अनुशासन / व्यवस्था पर दबाव बढ़ा सकते हैं तथा राज्य द्वारा अन्य क्षेत्रों में निवेश करने या अपने दायित्वों की पूर्ति करने की राज्य की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

- **व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों का गलत आवंटन :** निःशुल्क योजनाओं से राज्य को अन्य अवसंरचनात्मक, कृषि, उद्योग जैसे अधिक उत्पादक एवं आवश्यक क्षेत्रों से धन को दूसरी ओर मोड़कर व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों के आवंटन में वितरित किया जाता है , जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप या एयर कंडीशनर जैसी निःशुल्क योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय का बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है जिससे सड़कों, पुलों, सिंचाई प्रणालियों या बिजली संयंत्रों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए राज्य को धन की कमी का सामना करना पड़ता है।

- **नवाचार एवं सुधारात्मक गुणवत्ता में कमी :** निःशुल्क योजनाओं से राज्य द्वारा नवाचार एवं सुधार के लि प्रोत्साहन को कम करके मुफ़्त में दी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम किया जाता हैं। उदाहरण के लिए – साइकिल या लैपटॉप जैसी निःशुल्क योजनाएं , बाज़ार में उपलब्ध या अन्य देशों द्वारा उत्पादित इन उत्पादों की तुलना में घटिया गुणवत्ता या पुरानी तकनीक के हो सकते हैं।

- **पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन :** निःशुल्क योजनाओं के माध्यम से राज्य द्वारा जल, बिजली या ईंधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग एवं अपव्यय को प्रोत्साहित करने के रूप में पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मुफ़्त बिजली, पानी या मुफ़्त गैस सिलेंडर जैसे निःशुल्क योजनाओं से, इनके संरक्षण एवं कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहन में कमी आ सकती हैं और इस तरह यह पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट एवं प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकता है।

- कैग (CAG) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में किसानों के लिए मुफ़्त बिजली – आबंटन के कारण

बिजली के अत्यधिक उपयोग के साथ इसकी दक्षता भी प्रभावित हुई हैं ।

आगे की राह :

राज्य द्वारा राजस्व के स्रोतों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना : राजनीतिक दलों को निःशुल्क योजनाओं की घोषणा करने से पूर्व ही मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग के सामने उस योजना के वित्तपोषण से संबंधित राजस्व के स्रोतों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना, राजकोषीय संतुलन पर उस योजना से पड़ने वाले प्रभावों , सार्वजनिक व्यय की लागत और निःशुल्क योजनाओं की संवहनीयता के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग को वृहत शक्तियाँ प्रदान करना : चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा निःशुल्क योजनाओं की घोषणा एवं कार्यान्वयन को विनियमित करने और इनकी निगरानी करने के लिए ECI को सशक्त किया जाना चाहिए। इसमें ECI को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने, जुर्माना लगाने या आदर्श आचार संहिता या फ्रीबीज़ पर न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिये अवमानना कारवाई करने की वृहत शक्तियाँ प्रदान करना शामिल होना चाहिए।

मतदाताओं को निःशुल्क योजनाओं के आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों के बारे में शिक्षित करना : लोकतंत्र में निःशुल्क योजनाओं के प्रसार की अनुमति देने या इसे रोकने की शक्ति अंततः मतदाताओं के पास है। मतदाताओं को निःशुल्क योजनाओं के आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें राजनीतिक दलों से प्रदर्शन एवं जवाबदेही की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। मतदाताओं को तर्कसंगत एवं नैतिक विकल्प चुनने हेतु सूचना-संपन्न और सशक्त करने में मतदाता जागरूकता अभियान, मतदाता साक्षरता कार्यक्रम, नागरिक समाज पहल और मीडिया मंचों की उल्लेखनीय भूमिका होगी।

न्यायापालिका की संलग्नता आवश्यक : निःशुल्क योजनाओं पर संसद में रचनात्मक बहस एवं चर्चा कठिन है क्योंकि निःशुल्क योजना- संस्कृति का हर राजनीतिक दल पर प्रभाव है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इस परिदृश्य में विभिन्न उपायों पर विचार करने के लिए भारत में न्यायापालिका की संलग्नता आवश्यक है।

सामाजिक प्रगति के लिए समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना: इससे गरीबी एवं असमानता के मूल कारणों को हल किया जा सकेगा जो लोगों को निःशुल्क योजनाओं के प्रति भेद्य या संवेदनशील बनाते हैं। समावेशी विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण का भी निर्माण करेगा, जो दीर्घावधि में समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। इस प्रकार समावेशी विकास निःशुल्क योजनाओं का अधिक प्रभावी एवं वांछनीय विकल्प हो सकता है।

- यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को मुफ्तखोरी वाली नीतियों के संभावित नुकसान की जानकारी दिए बिना ही उनकी पेशकश करती हैं। इसका कारण यही है कि यदि किसी को कुछ मुफ्त पेशकश की जाए तो यही आसार अधिक हैं कि वह उसे अस्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि पार्टियां इन नीतियों की वकालत करती हैं, क्योंकि उनके अपने सर्वेक्षण इन योजनाओं की लोकप्रियता को दर्शाते हैं। जब मतदाताओं को यह पता चले कि इन चुनावी खैरात के चलते सरकारी धन के उन पर खर्च होने के कारण उन्हें किन अन्य लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है तब संभव है कि वे मुफ्तखोरी की इन योजनाओं को खारिज कर दें।

- भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय भारी दबाव में है। जहां केंद्र और राज्यों को मिलाकर जीडीपी के अनुपात में कर राजस्व 18 प्रतिशत है तो वहीं व्यय का अनुपात 29 प्रतिशत है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने हाल में चेताया है कि यदि राज्यों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए खैरात बांटना बंद नहीं किया जो भारत को आर्थिक मोर्च पर बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह राजकोषीय आपदा को आमंत्रण दे सकता है।

- सरकारी खजाने से खैरात बांटने का चुनावी संभावनाओं पर बहुत सीमित असर होता हो, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला हाल-फिलहाल थमता नहीं दिखता। राजनेता बड़ी दुविधा की स्थिति में है। वे जानते हैं कि ऐसी लुभावनी पेशकश उन्हें बढ़िय़ा गवर्नेंस रिकार्ड के अभाव में चुनाव के दौरान शायद कुछ राजनीतिक बढ़त बनाने में मददगार हो सकती हैं। वे इससे भी भलीभांति अवगत हैं कि गुप्त मतदान और अन्य दलों द्वारा भी यही दांव

चलने से गेंद पूरी तरह मतदाताओं के पाले में रहती है। यह भी सच है कि कोई नेता इस तरह की लोकलुभावन योजनाओं से पूरी तरह मुंह फेरने का जोखिम नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में राजनीतिक दल और मतदाता इस सहमति पर पहुंचें कि ऐसी योजनाओं की मांग और आपूर्ति केवल नुकसान ही करती है।

- जहां राजनीतिक दल इस प्रकार की लोकलुभावनवादी होड़ में लगे हुए हैं तो यह पड़ताल भी जरूरी है कि ऐसी नीतियां आखिर मतदाताओं को कितना प्रभावित करती हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि ये नीतियां जरूर कुछ चुनावी लाभ का सबब बनती हैं, लेकिन इनके प्रभाव को कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। यदि इस प्रकार का लोलुभावनवाद ही चुनावी जीत में निर्णायक रहे तो सत्तारूढ़ दल और उसके प्रत्याशियों को बहुत कम बार हार का सामना करना पड़ता। जबकि भारत का रुझान यही दिखाता है कि यहां चुनाव जीतकर पुन: सत्ता में आना काफी कठिन माना होता है। ऐसी पेशकश के चुनावी प्रभाव के लिए राजनीतिक दलों को यह तक जानना होगा कि किन लाभार्थियों ने उनके पक्ष में मतदान किया और किन्होंने नहीं। और ऐसा भारत में कर पाना बेहद मुश्किल है । यहां चुनाव आयोग मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। लोकनीति-सीएस-डीएस द्वारा 2009 में संकलित डाटा के अनुसार नेताओं के लिए विशेषकर यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि स्थानीय चुनावों में मतदाताओं ने किसे वोट दिया था।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1 लोकलुभावनवाद निः शुल्क योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे आमतौर पर अल्पावधि में लक्षित आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।
2. यह गरीबी और आय असमानता को कम करने में सहायक होता है।
3. इससे व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों का गलत आवंटन होने की संभावना होती है।
4. इसे जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने एवं समाज कल्याण में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 2 और 3

(B). केवल 2, 3 और 4

(C). केवल 2 और 4

(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में लोकलुभावनवादी घोषनाएं और योजनाएं किस प्रकार राजकोषीय घाटा में वृद्धि करती है और भारत की आर्थिक सुधार की गति पर धीमा और बुरा प्रभाव डालता है ? लोकलु-भावनवादी घोषनाओं और योजनाओं में निहित सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों की आलो-चनात्मक व्याख्या कीजिए ।

आंतरिक महिला प्रवासन की धुंधली तस्वीर और प्रवासी महिला कामगारों की समस्याएं

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – सामाजिक न्याय, महिला प्रवासन , लैंगिक – विमर्श, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, महिला श्रम बल भागीदारी दर।

ख़बरों में क्यों ?

- संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक प्रकार की नगरीय क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 60 करोड़ हो जाएगी। विस्थापन के कारण भारत के तीन बड़े शहर; दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, विश्व के सर्वाधिक घनत्व वाले शहरों में गिने जाने लगेंगे। 2011 की जनगणना से यह तथ्य ऊजागर होता है कि 80 प्रतिशत विस्थापन महिलाओं द्वारा या महिलाओं के कारण होता है। **इसके दो कारण हैं –**

  (1) विवाह के बाद महिलाओं का प्रवास

  (2) उदारवादी दौर में निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की मांग का बढ़ना।

- हाल के आंकड़ों बताते हैं कि पुरुषों के 48.7 प्रतिशत विस्थापन की तुलना में 101 प्रतिशत महिला कामगारों ने विस्थापन किया है ।

- जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय दोनों ही महिलाओं के विस्थापन में काम को कारण के रूप में प्रमुखता न देकर केवल विवाह को ही इसका प्रधान कारण मानते हैं। ऐसी सर्वेक्षण संस्थाएं महिलाओं की आर्थिक भागदारी को गौण समझती रहती हैं।

- जहाँ निर्धन प्रवासियों को पहचान पत्र, आवास एवं अन्य आर्थिक सेवाओं से वंचित होना पड़ता है, वहीं महिला प्रवासियों के साथ तो अनेक तरह का भेदभाव किया जाता है। काम के क्षेत्र में इन्हें मूलभूत सुविधाओं के अलावा मातृत्व – लाभ एवं देखभाल से वंचित होना पड़ता है।

- अधिकतर प्रवासी महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती रहती हैं। इन्हें पुरुष एवं स्थानीय महिला कामगारों

की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। अपेक्षाकृत कम कौशल वाली महिला प्रवासियों को तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कामों में लगा दिया जाता है।

- सिवीडेप के अध्ययन के अनुसार बेंगलुरू के कपड़ा उद्योगों में काम करने वाली 90 प्रतिशत महिलाएं श्वास समस्याओं, तपेदिक, अवसाद तथा कमर दर्द जैसी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझती रहती हैं।
- चीन के हुकोऊ तंत्र की तरह भारत के पास प्रवासियों के अलग-अलग वर्ग में पंजीकरण कराने के लिए कोई प्रणाली नहीं है, जिससे वह आसानी से उनका राजनीतिक, प्रशासनिक, श्रम एवं आर्थिक-सामाजिक वर्गों में विभाजन कर सके।
- पीएलएफएस डेटा से पता चलता है कि महिलाओं के बीच प्रवासन का प्रमुख कारण विवाह (81%) है, इसके बाद परिवार के सदस्यों का प्रवासन (10%), रोजगार (2.42%), और शिक्षा के अवसरों के लिए प्रवासन (0.48%) है। जलवायु झटके और खाद्य असुरक्षा जैसे द्वितीयक कारणों/प्रेरणाओं को जानने का कोई प्रावधान नहीं है, जो महिलाओं के लिए प्रवासन का एक महत्वपूर्ण चालक/ वाहक हो सकता है।

भारत प्रवास रिपोर्ट 2020 – 21 :

- जून 2022 में जारी एक अध्ययन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रवासियों एवं अल्प-कालिक पर्यटकों पर डेटा संकलित किया। जुलाई 2020-जून 2021 की अवधि के दौरान देश की 0.7% आबादी को 'अस्थायी अप्रवासियों के रूप में दर्ज किया गया था। अस्थायी अप्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था जो मार्च 2020 के बाद अपने घरों में आए और कम-से-कम लगातार 15 दिनों से अधिक लेकिन छह महीने से कम समय तक वहाँ रहे। महामारी के कारण इन 0.7% अस्थायी अप्रवा-सियों में से 84% से अधिक पुनः घर चले गए। भारत में केवल 86.8% महिलाएँ शादी के उपरांत पलायन करती हैं, जबकि 49.6% पुरुष रोज़गार की तलाश में पलायन करते हैं। जुलाई 2020 – जून 2021 में अखिल भारतीय स्तर पर पलायन दर 28.9% थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5% प्रवासन दर और शहरी क्षेत्रों में 34.9% थी। महिलाओं ने 47.9%की प्रवासन दर का एक उच्च हिस्सा दर्ज किया, जो ग्रामीण में 48% और शहरी क्षेत्रों में 47.8% है।
- पुरुषों की प्रवासन दर 10.7% थी, जो ग्रामीण में 5.9% और शहरी क्षेत्रों में 22.5% है
- पीएलएफएस जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण महिला प्रवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं लेकिन अक्सर गलत तस्वीर पेश करते हैं। उदाहरण के लिए – सर्वेक्षण उत्तरदाताओं से केवल उनके प्रवासन के प्राथमिक कारण के बारे में पूछते हैं। क्या महिलाएं स्वतंत्र रूप से भी पलायन करती हैं ? क्या प्रवासी महिलाओं के परिवार में उनकी हैसियत में कोई बदलाव आता है? क्या पलायन महिलाओं को एक जगह की पितृसत्ता से निकाल कर दूसरी जगह की पितृसत्ता में धकेल देता है? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए पहले हमें पलायन को

लैंगिक दृष्टिकोण से समझना ज़रूरी है।

- दुनियाभर में, पहले से कहीं अधिक लोग पलायन कर रहे हैं। उनमें से कई अपने और अपने परिवार के लिए नए अवसरों और बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करते हैं। कई लोगों को आपदा या संघर्ष के कारण विस्थापन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परंपरागत रूप से, बेहतर जीवन की संभावनाओं की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना एक पुरुषों का काम माना जाता रहा है। हालांकि पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में पलायन कर रही होती हैं।

माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टिट्यूट के अध्ययन के अनुसार –

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, कुल प्रवासी कामगारों की संख्या 164 मिलियन होने का अनुमान है, जो साल 2017 में दुनिया के प्रवासियों का लगभग आधा हिस्सा है। लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के सिद्धांतों में जेंडर को शामिल करने के लिए बहुत कम ठोस प्रयास किए गए हैं। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टिट्यूट के अध्ययन के अनुसार 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में पलायन को समझने के लिए 'प्रवासी और उनके परिवार' जैसे वाक्यांश का प्रयोग होता था जिसका निहित अर्थ है, 'पुरुष प्रवासियों और उनकी पत्नियां और बच्चे।'

विस्थापन में जेंडर की भूमिका :

- महिला आंदोलनों के जरिए प्रवासियों के रूप में महिलाओं की अदृश्यता, प्रवासन प्रक्रिया में उनकी अनुमानित निष्क्रियता और घर में उनकी जगह पर सवाल उठाया गया । 1970 और 1980 के दशक में हुए शोध में महिलाओं को शामिल करना शुरू किया गया। लेकिन इससे पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण पितृसत्तात्मक सोच में महिलाओं के प्रति कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। यही सवाल अहम था कि क्या प्रवास की वजह से महिलाओं का आधुनिकीकरण होता है? फिर पुश-पुल जनसांख्यिकीय मॉडल में विस्थापन को व्यक्तिगत फैसलों के परिणाम के रूप में देखा गया। यह समझा गया कि पत्नी और माँ के रूप में महिलाओं की ज़िम्मेदारियां और कमानेवाले के रूप में पुरुषों की भूमिका, महिलाओं के फैसलों को प्रभावित करती हैं। इसीलिए प्रवास के फैसलों में और मेजबान देश की श्रम शक्ति में भाग लेने में महिलाओं की संभावना कम होती है।

महिलाओं के प्रवासन में शादी की एक महत्वपूर्ण भूमिका :

- महिलाओं के प्रवासन में शादी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। लेकिन समय के साथ रोज़गार, व्यवसाय और शिक्षा जैसे आर्थिक कारकों को महत्व मिला है। यह महिलाओं के प्रवासन के पीछे एकल कारक के रूप में विवाह पर कम निर्भरता दर्शाता है। 2001 और 2011 के बीच, काम के लिए पलायन करने वाली महिलाओं की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। यह पुरुषों के लिए विकास दर (48.7%) से दोगुनी है। साथ ही, व्यवसाय को प्रवास का कारण बताने वाली महिलाओं की संख्या में 153% की वृद्धि हुई, जो पुरुषों (35%) की दर से चार गुना अधिक है। शिक्षा के लिए भी अधिक महिलाओं ने प्रवास किया है।

महिलाओं के पलायन का पैटर्न :

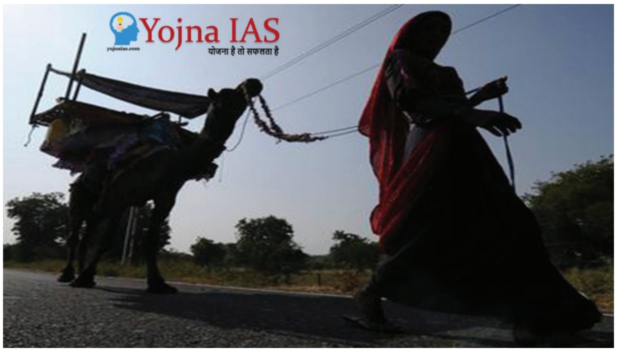

- साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 31.4 करोड़ आंतरिक प्रवासी हैं जिनमें से 30.96 करोड़ महिलाएं हैं अर्थात करीब 68 प्रतिशत। माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट के मुताबिक 71% से अधिक प्रवासियों के प्रवास के पीछे शादी एक बड़ी वजह थी। 86.8% महिलाएं और केवल 6.2% पुरुष शादी के लिए पलायन करते हैं। 9.2% प्रवासियों ने परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ जाने या माता-पिता के प्रवास को कारण बताया जिसमें 17.5% पुरुष और 7.3% महिलाएं थीं।

- कुछ महिलाओं के लिए प्रवासन का मतलब सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक स्वतंत्रता और सापेक्ष स्वायत्तता में वृद्धि हो सकता है। कुछ के लिए, श्रमबल की भागीदारी बोझ को बढ़ा सकती है क्योंकि उन्हें तब भी घर के काम और बच्चों की देखभाल करनी होती है।

- अधिकतर लोग अपने राज्य के अंदर ही पलायन करते हैं जिनमें से 92.6% महिलाएं हैं और 65.6% पुरुष। 7.2% महिलाओं और 31.4% पुरुषों ने दूसरे राज्य में पलायन किया। 2.9% पुरुष और 0.2% महिलाएं दूसरे देश में चले गए। 63% से अधिक महिला आंतरिक प्रवासी ग्रामीण इलाकों से दूसरे ग्रामीण इलाकों में गई, और पुरुष केवल 18%। दूसरी ओर, 33.5% पुरुषों और 15.6% महिलाओं ने ग्रामीण से शहरी इलाकों की ओर पलायन किया। यह दिखाता है कि अधिकतर महिलाएं अपने मूल निवास के आस पास ही प्रवास करती हैं और पुरुषों का बहुतायत में ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों में जाना गाँव-शहर के बीच की आर्थिक असमानता की ओर इशारा करता है।

देश की लगभग 50 फीसदी युवा महिलाएं शिक्षा और रोज़गार से दूर : रिपोर्ट

काम या रोज़गार के लिए पलायन करती महिलाएं :

- **एक व्यक्ति की लैंगिक पहचान प्रवास के अनुभव के हर चरण को आकार देती है। कौन प्रवास करता है और कहां जाता है, लोग कैसे प्रवास करते हैं, इससे जुड़े जोख़िम, प्रवासी द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधन, गंतव्यों पर उपलब्ध अवसर और संसाधन और मूल स्थान के साथ संबंध- सभी बिंदुओं पर व्यक्ति के लिंग, धर्म, जाति, वर्ग का प्रभाव होता है।**

- काम के लिए प्रवास आमतौर पर गरीबी से राहत का परिणाम होता है, भले ही इसका मतलब भारत के महा-नगरों में एक कठिन जीवन हो। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र से एक प्रवासी, मुंबई जाने के बाद अस्थायी रूप से अपनी आय को तीन गुना कर लेती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संकट, भूमि उपयोग के बदलते पैटर्न, बढ़ते मशीनीकरण, और बदतर होते पर्यावरण जैसे कारकों ने महिलाओं के लिए गरीबी और बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि की है, जिससे उन्हें काम के लिए शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- शहरी क्षेत्रों में, उदारीकरण के बाद जेंडर-पृथक श्रम बाज़ारों के उद्भव की वजह से कई कम कुशल, अशिक्षित महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में अवसर पा रही हैं। उच्च महिला साक्षरता के साथ-साथ शिक्षा की प्राप्ति भी कई महिलाओं को पलायन के लिए प्रेरित कर रही है। हालाँकि मोटे तौर पर देश की 80% प्रवासी महिलाएं अनौ-पचारिक क्षेत्र में – कृषि, निर्माण, परिवहन, घरेलू कार्य और खनन जैसी गतिविधियों में अनुबंध के आधार पर काम करती हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यबल के लिए विनिर्माण श्रमिक सबसे बड़ा व्यवसाय है (इस क्षेत्र में 45 लाख महिलाएं हैं), इसके बाद शिक्षण (27.5 लाख) और घरेलू कार्य (20 लाख) हैं।

प्रवासी महिलाओं की समस्याएं :

- प्रवासी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है – उनकी अदृश्यता। हम जब 'प्रवासी' कहते हैं, हमारे दिमाग में केवल पुरुषों की छवि आती है और आज भी 1950 की तरह हम महिलाओं और बच्चों को पुरुष पर निर्भर होने से आगे नहीं देख पाते। इसके अलावा, प्रवास के बाद उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता की भी भारी कमी है। इस वजह से महिलाएं आंगनवाड़ी सेवाओं और पीडीएस का लाभ नहीं उठा पाती। इसके साथ ही, महिलाएं वित्तीय साक्षरता, फ़ोन व टेक्नोलॉजी के उपयोग से भी बहुत दूर होती हैं। शहरों में उन्हें लगभग काम की जगह अस्थायी आश्रयघरों में बेहद बीमार परिस्थितियों में रहना पड़ता है।

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, 2020 – 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महिलाएं गैर

कृषि अनौपचारिक क्षेत्र के आधे से अधिक (56.7%) का गठन करती हैं। उनमें से ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले समुदायों, अत्यंत संसाधन-गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं और अपने परिवारों के लिए एकमात्र आय का स्रोत हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम में अनौपचारिक कार्यकर्ता शामिल हैं परन्तु वे अकसर कानून से अनभिज्ञ होती हैं, जिससे उनके लिए उत्पीड़न के खिलाफ बोलना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्हें आजीविका के नुकसान और इस मुद्दे से जुड़े कलंक का भी डर रहता है, जो उन्हें इस तरह की हिंसा की रिपोर्ट करने से रोकता है।

प्रवासन संबंधी चुनौतियाँ :

सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू :

- प्रवासियों को प्रवासन किए गए नए क्षेत्र में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है और उनको स्थानीय निवासी माना ही नहीं जाता है। इसलिए अक्सर उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है ।
- भाषा और सांस्कृतिक अनुकूलन के तहत किसी नए देश में प्रवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कई चुनौतियों जैसे सांस्कृतिक अनुकूलन और भाषा की बाधाओं से लेकर गृह वियोग और अकेलेपन तक का सामना करना पड़ता है।

वंचित समुदायों या वर्गों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे :

- जो लोग निर्धन, गरीब या वंचित समुदाय से संबंधित हैं, उन्हें अक्सर प्रवासन किए गए नए जगह पर वहां के स्थानीय लोगों द्वारा भी और प्रवासन किए हुए समूहों द्वारा भी आपस में घुलना-मिलना आसान नहीं होता है।

सामाजिक लाभों और राजनीतिक अधिकारों से हमेशा वंचित रहने को मजबूर :

- प्रवासी श्रमिकों को मतदान के अधिकार जैसे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के कई अवसरों से वंचित रखा जाता है।
- इसके अतिरिक्त उन प्रवासी श्रमिकों को मतदाता पहचान – पत्र, अपने निवास के पते का प्रमाण – पात्र , और आधार कार्ड बनाने तक में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके जीवन के घूमंतू प्रकृति के कारण भी और निवास के अस्थायित्त्व के कारण भी उनके लिए कठिन कार्य है तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों तक पहुँच से वंचित रहना पड़ता है।

आय में कमी और आजीविका का नुकसान :

- कोरोना महामारी के कारण आर्थिक अनिश्चितता और रिवर्स माइग्रेशन ने उनके दुख को और बढ़ा दिया है। यूएनडीपी द्वारा 12 भारतीय राज्यों की प्रवासी महिला श्रमिकों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि महामारी के पूर्व के स्तरों की तुलना में महामारी के दौरान उनकी आय आधे से अधिक गिर गई।
- एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि महामारी से न केवल आजीविका का नुकसान हुआ, बल्कि लॉक-डाउन के कुछ महीनों के बाद, पुरुषों की तुलना में बहुत कम महिलाएं काम कर रही थीं। इससे प्रवासी महिलाओं के पोषण और सेहत पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा।
- रोज़गार की तलाश में जो पुरुष पलायन करते हैं और महिलाएं पीछे अकेले खेती, घर व बच्चों को संभालने का कार्य करती हैं, वह एक भिन्न समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 1.5% से अधिक महिलाओं के पति कहीं और रहते हैं।

वेतन समानता, व्यावसायिक सुरक्षा, किफायती स्वास्थ्य, विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित शहर उपलब्ध करवाना :

- सरकार को सबसे पहले सटीक डेटा एकत्र करना ज़रूरी है।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती बाल देखभाल, वेतन समानता, व्यावसायिक सुरक्षा, किफायती स्वास्थ्य, विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित शहर उपलब्ध करवाए जा सकें।
- प्रवासी महिलाओं को तकनीकी प्रगति के कारण नौकरी के नुकसान के लिए सबसे अधिक असुरक्षित माना जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें भविष्य के काम को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सिर्फ़ रोज़गार पर्याप्त उपाय नहीं :

- नीति आयोग द्वारा प्रवासी श्रम नीति के मसौदे में प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयुक्त नीति बनाने के लिए प्रस्ताव है लेकिन यह काफी हद तक प्रवासी महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों और चिंताओं की अनदेखी करता है।
- वर्तमान समय में जब महिलाओं को दशकों से पुरुषों से पिछड़ने के बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना ही उनके अवसरों के लिए एक बड़ी बाधा है।
- इसका एक प्रमुख कारण एक ओर जहाँ पितृसत्ता और अनदेखी हैं वहीँ दूसरी वजह एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरण है।
- भारत में महिलाओं के लिए समस्त प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है और बेहतर नीति निर्माण की अत्यंत जरूरत है , जो न केवल महिला प्रवासियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो, बल्कि उनके लिए एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने पर भी ध्यान दे। शायद फिर भारतीय समाज महिलाओं की गतिशीलता को नए सिरे से देख पाए।
- इसके समाधान के लिए कई कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों को प्रवास के बाद उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में अधिक जानकारी संकलित करनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। उदाहरण के लिए, पीएलएफएस इंगित करता है कि एक मिनट प्रतिशत (लगभग 7%) के पास सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच है, बाकी आबादी के लिए कोई डेटा नहीं है। प्रवासियों के लिए समय-उपयोग डेटा की भी कमी है क्योंकि भारत ने अभी तक इसे मानक नहीं बनाया है। समय-उपयोग डेटा बेरोजगार महिला प्रवासियों के संबंध में ज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा।

समाधान की राह / निष्कर्ष :

- प्रवासी महिलाओं के डाटा एकत्रण की समुचित व्यवस्था हो।
- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और राष्ट्र में उनके योगदान को संज्ञान में लिया जाए।
- प्रवासी महिलाओं के आधार-कार्ड प्राथमिकता पर बनाए जाएं। उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जन-धन योजना का लाभ दिया जाए। उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की सुविधाएं दी जाएं।
- आस्ट्रिया, बेल्जियम, नार्वे, यू.के. आदि देशों की तर्ज पर प्रवासी महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। सहायता सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाई जाए।
- वियतनाम की ‘वी द वीमेन’ नामक योजना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
- केरल राज्य लगभग 3 करोड़ महिला प्रवासी कामगारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं एवं बीमा प्रदान करता

है। इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

- वियतनाम की 'वी द वीमेन' नामक योजना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
- महिला प्रवासियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सकती है, जो विशेष तौर पर महिला प्रवासियों की मुश्किलों पर ध्यान दे, और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करे। प्रवासियों के राजनैतिक समावेश से नगरीय प्रशासन को अधिक प्रजातांत्रिक और लैंगिक रूप से समान बनाया जा सकेगा।

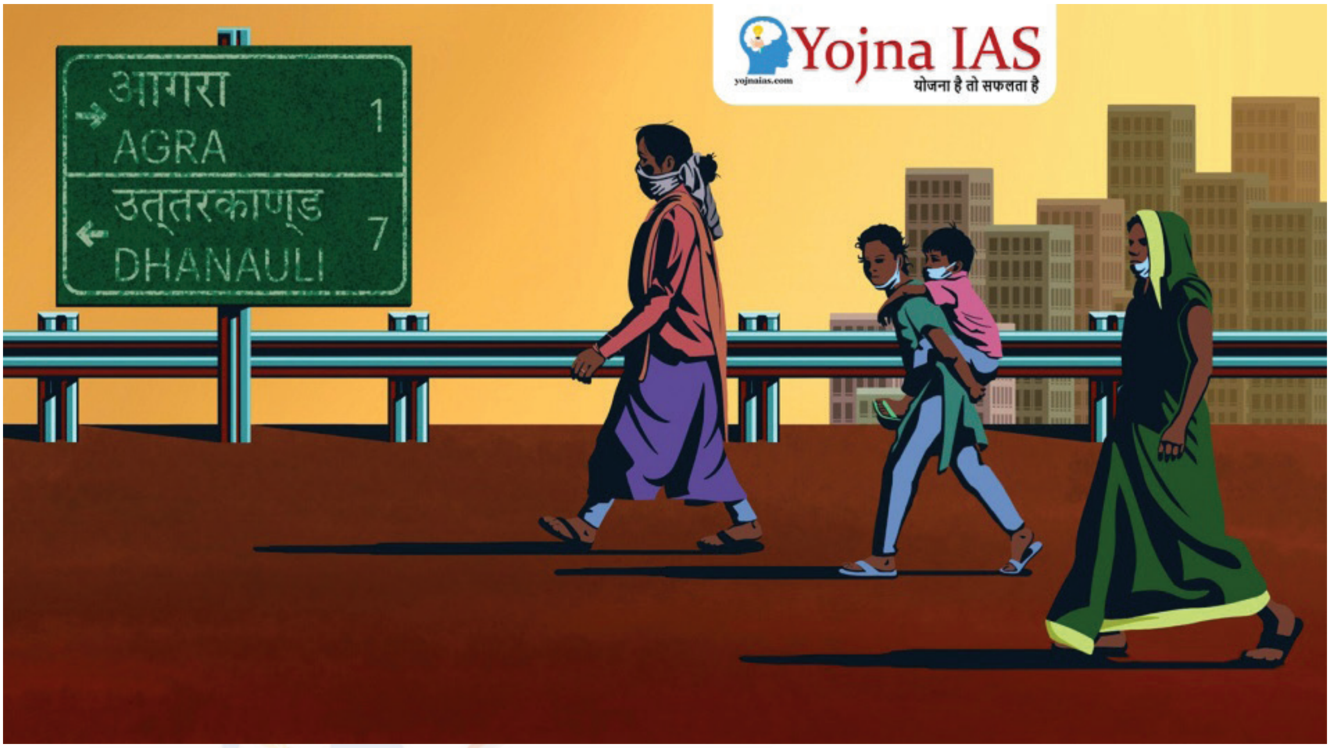

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में महिलाओं के आतंरिक प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पुरुषों के 48.7 प्रतिशत विस्थापन की तुलना में 101 प्रतिशत महिला कामगारों ने विस्थापन किया है।
2. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के बीच प्रवासन का प्रमुख कारण विवाह (81%) है।
3. महिलाओं के लिए प्रवासन का मतलब सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक स्वतंत्रता और सापेक्ष स्वायत्तता में वृद्धि हो सकता है।
4. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट, 2020 – 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का गैर कृषि अनौपचारिक क्षेत्र के आधे से अधिक (56.7%) क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 और 4

(B). केवल 2 और 3

(C) इनमें से कोई नहीं ।

(D). इनमें से सभी ।

उत्तर – (D).

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में महिलाओं के आंतरिक प्रवासन के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए प्रवासी महिला कामगारों की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान के लिए विभिन्न सुझावों की चर्चा कीजिए ।

भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संबंध , भारत – फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्षितिज 2047, COP 33, जी20 शिखर सम्मेलन ।

ख़बरों में क्यों ?

- भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रॉन ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत का राजकीय दौरा किया। **यह राष्ट्रपति मैक्रॉन की भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है और गणतंत्र दिवस के सम्माननीय अतिथि के रूप में किसी फ्रांसीसी नेता की छठी यात्रा है।**
- भारत और फ्रांस इस साल अपने आपसी रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्षगांठ मना रहा है। फ्रांस पश्चिमी दुनिया में भारत का पहला रणनीतिक साझेदार देश है। इतना ही नहीं, फ्रांस के लिए भारत पहला गैर-यूरोपीय भागीदार भी है। ऐसे में मैक्रों को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना महत्वपूर्ण है। यह पीएम मोदी की दोस्ती का एक पारस्परिक संकेत भी है। यह भी बड़ी बात है कि साल 2023 में पीएम मोदी और

Yojna IAS

राष्ट्रपति मैक्रों ने कम से कम एक दर्जन बार मुलाकात की थी। इनमें से कई मुलाकातें द्विपक्षीय और कई बड़े-बड़े मल्टीनेशनल प्रोग्राम के दौरान हुई थीं। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैक्रों भारत भी आए थे।

- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत पहुंचे हैं। उनका जयपुर में महाराजा शैली में स्वागत किया गया। जंतर-मंतर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ पिंक सिटी में एक रोड शो में हिस्सा लिया। पीएम मोदी और मैक्रों जब भी मिलते हैं, तब दोनों नेता एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाते हैं। यह प्रतीकात्मक है, जो बताता है कि भारत और फ्रांस हर संभव क्षेत्र में सहयोग करते हुए एक दूसरे को मजबूती से गले लगा रहे हैं। भारत-फ्रांस की **'दोस्ती'** खास भी है। यह भी एक कारण है कि फ्रांसीसी नागरिक और राष्ट्रपति मैक्रों भारत के सबसे करीबी मित्रों में शामिल हैं।

- भारत के गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रपति मैक्रॉन की यात्रा 14 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में प्रधान मंत्री की फ्रांस की ऐतिहासिक यात्रा के बाद हुई, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने एक महत्वाकांक्षी योजना क्षितिज 2047 का अनावरण किया। भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के लिए क्षितिज 2047, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक **'मील का पत्थर'** है। दोनों नेताओं का लगातार राष्ट्रीय दिवसों पर सम्मानित अतिथि बनना अभूतपूर्व है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ का जश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति की उपस्थिति लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है, और दोनों देशों की आपसी दोस्ती की प्रगाढ़ता और आपसी रणनीतिक साझेदारी की ताकत के लिए एक मजबूत स्तंभ है।

- राष्ट्रपति मैक्रॉन के साथ एक मजबूत उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें सशस्त्र बलों, संस्कृति, यूरोपीय और विदेशी मामलों के मंत्रियों के साथ-साथ फ्रांसीसी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सीईओ और उद्योग के नेता शामिल थे। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के तीन विमानों ने कर्तव्य पथ पर भारतीय वायु सेना के विमान के साथ उड़ान भरी, और एक फ्रांसीसी सैन्य दल ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।

- 1998 में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के बाद से, भारत और फ्रांस ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता में मजबूत विश्वास के आधार पर असाधारण विश्वास और आत्मविश्वास, स्थिरता और ताकत की साझेदारी विकसित की है। और रणनीतिक स्वायत्तता, एक बहुध्रुवीय दुनिया के लिए एक साझा प्रतिबद्धता, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति। प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने अपने दृष्टिकोण की पुष्टि की कि भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी उनकी अर्थव्यवस्थाओं में समृद्धि और लचीलापन बनाने में मदद कर सकती है, अपने देशों की सुरक्षा को आगे बढ़ा सकती है, और ग्रह के लिए अधिक टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य, वैश्विक चुनौतियों के लिए समाधान ढूंढ सकती है, पुनर्जीवित कर सकती है। बहुपक्षवाद और एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अधिक एकजुट और एकजुट दुनिया बनाने में मदद करता है।

- भारत के प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने **क्षितिज 2047** और जुलाई 2023 शिखर सम्मेलन के अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित द्विपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की सराहना की और संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के तीन व्यापक स्तंभों – शांति और समृद्धि के लिए साझेदारी, ग्रह के लिए साझेदारी और लोगों के लिए साझेदारी – में इसे और तेज करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विकास पर व्यापक चर्चा की, और अपने समान हितों और दृष्टिकोणों से प्रेरित होकर, बहुपक्षीय पहल और संस्थानों के माध्यम से अपने वैश्विक और क्षेत्रीय जुड़ाव को तेज करने पर सहमति व्यक्त की।

- राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भारत की सफल जी20 नेताओं की दिल्ली घोषणा में भारत की अध्यक्षता के लिए प्रधान मंत्री मोदी को उनके नेतृत्व के लिए बधाई दी, जो अपने सुचारु संचालन, अपने महत्वाकांक्षी परिणामों और नई पहलों और आम सहमति की उपलब्धि में **"एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"** की थीम पर खरा उतरा। उन्होंने G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने का स्वागत किया और कहा कि इससे मंच के समावेशी और प्रतिनिधि चरित्र में वृद्धि हुई है। वे इस बात पर सहमत हुए कि दिल्ली में प्राप्त सर्वसम्मति ने समावेशी वैश्विक एजेंडा और 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए ब्राजील का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में G20 को मजबूत किया है।

- भारत और फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधान मंत्री मोदी ने 2023 में राष्ट्रपति मैक्रॉन की अंतरराष्ट्रीय पहल की सराहना की, जिसमें जून में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन भी शामिल था, जिसके कारण लोगों और ग्रह के लिए पेरिस समझौता हुआ और पेरिस में वन प्लैनेट – पोलर शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों नेता 2025 में नीस में आयोजित होने वाले तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (यूएनओसी3) के लिए उत्सुक थे। उन्होंने दुबई में सीओपी28 के सफल आयोजन में यूएई के नेतृत्व की सराहना की और सीओपी के नतीजे, विशेष रूप से यूएई की सहमति का स्वागत किया, जिसमें निर्णय शामिल थे। पहले वैश्विक स्टॉकटेक पर, अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य पर रूपरेखा, जस्ट ट्रांज़िशन पर कार्य कार्यक्रम और हानि और क्षति का जवाब देने के लिए एक फंड सहित फंडिंग व्यवस्था के संचालन पर। दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अपने अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में आगे आने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- राष्ट्रपति मैक्रोन ने 2028 में **COP 33** की मेजबानी के भारत के प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की उम्मीदवारी के लिए फ्रांस के समर्थन की भी पुष्टि की। भारत की IEA सदस्यता पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और ऊर्जा संक्रमण की स्थिरता और विकास में योगदान देगी। बहुपक्षीय ढांचे पर विशेष ध्यान देने के साथ राजनीतिक मामलों और महासागरों, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण और डिजिटल जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर परामर्श आयोजित करने के लिए, दोनों नेता वैश्विक मुद्दों पर एक व्यापक वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की स्थापना के लिए बातचीत पर इस वर्ष एक महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए आम सहमति बनाने का आह्वान किया। फ्रांस और भारत संयुक्त महत्वाकांक्षा बनाने और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए रियो कन्वेंशन के तीन सीओपी (जलवायु, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण) के संदर्भ में भी अपना सहयोग बढ़ाएंगे। यूएनओसी 2025 की तैयारी के संदर्भ में, फ्रांस ने "मर्केटर" पहल में शामिल होने के भारत के फैसले का स्वागत किया, जिसका उद्देश्य महासागर का एक वैश्विक '**डिजिटल ट्विन**' बनाना है। अंत में, राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत सरकार को वैश्विक मंच में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। **बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट", फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सह-आयोजित है, जो 7 और 8 मार्च 2024 को पेरिस में होगा।**

- प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर, दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने अपने-अपने संप्रभु और रणनीतिक हितों के लिए क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण इंडो-पैसिफिक और उससे आगे की प्रगति के लिए क्षेत्र में अपनी साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया। इंडो-पैसिफिक के लिए व्यापक रोडमैप का उल्लेख करते हुए, जिसे जुलाई 2023 में अंतिम रूप दिया गया था, उन्होंने क्षेत्र में अपनी भागीदारी की विस्तारित प्रकृति पर संतोष व्यक्त किया।

- रक्षा और सुरक्षा साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत-फ्रांस साझेदारी की आधारशिला रही है, जिसमें विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय, बहुराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और संस्थागत पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वे 2020 और 2022 में फ्रांसीसी द्वीप क्षेत्र ला रीयूनियन से किए गए संयुक्त निगरानी मिशनों के आधार पर, दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में अपने सहयोग को तेज करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने भारत के समुद्री पड़ोस में उन बातचीत के विस्तार का भी स्वागत किया। ये बातचीत संचार के रणनीतिक समुद्री मार्गों के प्रतिभूतिकरण में सकारात्मक योगदान दे सकती है। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता में प्रगति और क्षेत्र में मित्र देशों के लिए रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात के लिए भारत को आधार के रूप में उपयोग करने के लिए विशिष्ट अवसरों की पहचान का स्वागत किया।

- दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने, यूएई के साथ इसे गहरा करने और क्षेत्र में नए सहयोग की खोज करने की भी प्रतिबद्धता जताई।

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास, मानव कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता, लचीले बुनियादी ढांचे, नवाचार और कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए संयुक्त और बहुपक्षीय पहल के महत्व को ध्यान में रखते हुए, दोनों नेताओं ने अपनी सरकारों से ठोस परियोजनाओं की पहचान करने को कहा। इसके अलावा, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में विकसित की जा रही हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने की सुविधा के लिए **इंडो-पैसिफिक त्रिकोणीय विकास**

सहयोग कोष को शीघ्र शुरू करने का आह्वान किया। वे प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय के अवसर तलाशने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने भारत में फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं को स्वीकार किया।

- भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के दोनों नेताओं ने सितंबर 2023 में दिल्ली में **जी20 शिखर सम्मेलन** के मौके पर **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (आईएमईसी)** के शुभारंभ को याद किया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस ऐतिहासिक पहल में उनके नेतृत्व के लिए प्रधान मंत्री मोदी को बधाई दी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि यह परियोजना अत्यधिक रणनीतिक महत्व की होगी और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच वाणिज्य और ऊर्जा के प्रवाह की क्षमता और लचीलेपन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना के लिए राष्ट्रपति मैक्रों के विशेष दूत की नियुक्ति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने दक्षिण पूर्व एशिया से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक विभिन्न अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर पेरिस में जुलाई में हुए शिखर सम्मेलन में अपनी चर्चा को याद किया और विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत – फ्रांस संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा न केवल एक राजनयिक रिश्तों के लिए मील का पत्थर है, बल्कि 2018 के बाद से मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विकसित हुई गहरी और व्यक्तिगत दोस्ती को भी रेखांकित करती है। यह यात्रा फ्रांस को भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के रूप में मजबूत करती है, और उनके सौहार्द की कहानी भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का केंद्र बन गई है। शुरुआत से ही, दोनों नेताओं ने अपने राष्ट्रों के लिए साझा दृष्टिकोण और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

- मैक्रों के सरकार चलाने की रणनीति पीएम मोदी से काफी हद तक मेल खाती है। यही कारण है कि वह 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। वह फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति और नेपोलियन III के बाद सबसे कम उम्र के राष्ट्र प्रमुख बने। मोदी और मैक्रों के बीच व्यक्तिगत केमिस्ट्री 2018 में उनकी भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट हुई, जहां उन्होंने संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का शुभारंभ किया। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई इस पहल ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनकी पारस्परिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

- फ्रांसीसी विमान और हेलीकॉप्टर (आउरगन, मिस्टीरे, अलिज़े, अलौएट, जगुआर आदि) 1960 के दशक से ही भारत के हवाई बेड़े का हिस्सा रहे हैं ।

- फ्रांस ने वाइकिंग और सेंटॉर रॉकेट प्रौद्योगिकियों को 1970 के दशक में भारत को साझा किया और फ्रांस ने भारत के श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चर केंद्र की स्थापना में सहायता किया था ।

- 1984 में, अमेरिका ने घरेलू कानूनी बाधाओं का हवाला देते हुए तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन प्रदान करने के एक समझौते से पीछे हट गए। उस समय फ्रांस ने भारत को परमाणु ईंधन की आपूर्ति में मदद की थी।

- भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी मजबूती से एक बहुध्रुवीय दुनिया में निहित है जो सुधार और सफल बहुपक्षवाद, रणनीतिक स्वायत्तता में दृढ़ विश्वास, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और इन सिद्धांतों में विश्वास पर निर्भर है।

- भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में दोनों पक्ष लोकतंत्र के सामान्य मूल्यों, बुनियादी स्वतंत्रता, कानून के शासन

और मानवाधिकारों के सम्मान को बनाए रखने के लिए समर्पित हैं।

- फ्रांस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी के मुख्य स्तंभ रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष अन्वेषण और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग हैं।

सामरिक – रणनीतिक साझेदारी :

- हाल के वर्षों में हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-फ्रांस समुद्री सुरक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत अपनी बढ़ती आर्थिक, समुद्री सैन्य क्षमताओं और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ पूरे क्षेत्र के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। दूसरी ओर, फ्रांस ने भू-राजनीतिक बदलावों को पहचानते हुए, एक इंडो-पैसिफिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा पर जोर देना शुरू कर दिया है। हाल की भारत-फ्रांस द्विपक्षीय बातचीत में हिंद महासागर चर्चा का प्राथमिकता क्षेत्र बन गया है क्योंकि दोनों देश समुद्री क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं। 22 अगस्त, 2019 को फ्रांस के पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 45 वीं जी7 शिखर बैठक के लिए फ्रांस की राजकीय यात्रा पर थे। द्विपक्षीय वार्ता के बाद, अन्य बातों के अलावा, हिंद महासागर में संयुक्त समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र (सीएनईएस) फ्रांस के बीच व्यवस्था लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह इसरो और सीएनईएस के बीच मार्च 2018 में हस्ताक्षरित पहले के समझौता ज्ञापन का अनुसरण करता है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर पर केंद्रित समुद्री निगरानी उपग्रह प्रणाली का सह-विकास करना है। ये समझौते आईओआर में समुद्री सुरक्षा के लिए भारत-फ्रांस सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
- फ्रांस और भारत के बीच 1998 में जब दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की तो इनके आपसी सामरिक रणनीतिक साझेदारी संबंध में व्यापक बदलाव हुए।
- इस सामरिक गठबंधन के तीन मुख्य स्तंभ सैन्य सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग हैं।
- दोनों राष्ट्रों के बीच के रणनीतिक साझेदारी संबंधों में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोनों ही देश वैश्विक राजनीतिक स्तर पर दो गुटों में ध्रुवीकृत होने के के बजाय एक लोकतंत्रों द्वारा शासित एक बहुध्रुवीय दुनिया का पक्ष लेते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस ने भारत का लगातार समर्थन किया है।
- फ्रांस भी सभी चार बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया समूह, वासेनार व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एजी) में भारत की सदस्यता का प्रबल समर्थक रहा है।
- डब्ल्यूए, एमटीसीआर और एजी में भारत की स्वीकृति फ्रांस की सहायता से संभव हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दोनों ही देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है।

आर्थिक – सहयोग :

- भारत और फ्रांस ने 2018 में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2022 तक 15 बिलियन यूरो तक बढ़ाने और भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर "समय पर पुन: लॉन्च वार्ता' पर भारत और फ्रांस ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
- फ्रांसीसी – भारतीय व्यापार, जो लगातार बढ़ रहा था, 2020 में COVID-19 संकट (2019 में € 11.5 बिलियन के विपरीत € 9 बिलियन) के परिणामस्वरूप काफी कम हो गया।
- फ्रांसीसी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा संचार उपकरण, रसायन, और दवा और रासायनिक उद्योगों से बना है।
- फ्रांस भारत का 17वां सबसे बड़ा ग्राहक है और इसकी आपूर्ति करने वाले देशों में 1% बाजार हिस्सेदारी के साथ 27वें स्थान पर है।

- वर्तमान में 540 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां भारत के विभिन्न उद्योगों में सहायक के रूप में काम कर रही हैं और लगभग 300,000 लोगों को रोजगार दे रही हैं।
- भारत के 20 से अधिक शहरों में पहले से ही स्थायी शहरी विकास परियोजनाएं हैं जो फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके साथ – ही – साथ भारत और फ्रांस "स्मार्ट सिटीज" कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं।

असैन्य परमाणु सहयोग :

- 1950 में, फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा आयोग (सीईए) ने भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता की पेशकश की। इस प्रस्ताव को 1951 में तब और अधिक महसूस किया गया जब दोनों देशों ने **"बेरिलियम-संचालित रिएक्टरों के अनुसंधान और निर्माण के लिए"** आपस में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया।भारत के परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास को फ्रांस से बहुत लाभ हुआ है।
- 1974 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की प्रशंसा करने वाला फ्रांस एकमात्र पश्चिमी देश था, जिसे परमाणु क्षेत्र में भारत की प्रगति के प्रमाण के रूप में उद्त किया गया था।
- अमेरिका और कनाडा द्वारा 1974 के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के विरोध में अपने समझौतों को समाप्त करने के बाद, भारत को अपना समर्थन देते हुए फ्रांस ने भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र को ईंधन की आपूर्ति जारी रखी।
- 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों से असहमति जताई और आईएईए के साथ भारत की बातचीत के लिए एक अनुकूल वातावरण के निर्माण में अपना योगदान दिया।
- 30 सितंबर, 2008 को भारत और फ्रांस के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार, फ्रांस 9,900 मेगावाट जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (JNPP) को तेजी से लागू करेगा और छह 1,650 मेगावाट यूरोपीय दबाव रिएक्टर (EPR) परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा।

भारत – फ्रांस द्विपक्षीय व्यापारिक – संबंध :

- विगत 10 वर्षों में फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसका 10.75 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- हाल ही में दोनों देशों के बीच करीब 16 अरब डॉलर के व्यापारिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
- भारत और फ्रांस दोनों ही देश इस पर सहमत हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश समझौतों को तेजी से ट्रैक करना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान समय में लगभग 1,000 फ्रांसीसी कंपनियों की तुलना में सौ से अधिक भारतीय व्यवसायों ने फ्रांस में अपना व्यापर स्थापित किया है।
- भारतीय व्यवसायी अपने व्यवसाय को यूनाइटेड किंगडम में अपने व्यवसाय का होना यूरोप में अपने व्यवसाय को प्रवेश बिंदु के रूप में देखते थे। अब, ब्रेक्सिट के तेजी से आने के साथ, भारत – फ्रांस को भी एक विकल्प के रूप में मान रहा है।

भारत – फ़्रांस रक्षा – संबंध :

- भारत और फ़्रांस अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे अंतःक्रियाशीलता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं और संयुक्त बलों के सहयोग को बनाने के लिए आपस में चर्चा जारी रखते हैं।
- भारत और फ़्रांस ने दोनों देशों के बीच पारस्परिक रसद आपूर्ति के समर्थन के प्रावधान के लिए एक समझौते पर

हस्ताक्षर किया हुआ है ।

- भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के स्तंभों में से एक भारत और फ्रांस के बीच आपस में रक्षा औद्योगिक सहयोग रहा है।
- फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और भारत के प्रधान मंत्री मोदी दोनों ने पिछले समझौतों में विशेष रूप से राफेल लड़ाकू जेट की डिलीवरी पूरा करने में की गई फ्रांस की प्रगति की प्रशंसा की है ।
- **‘ मेक इन इंडिया ’** योजना के तहत दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए, दोनों नेताओं ने रक्षा उद्योग में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच मौजूदा और आगामी गठबंधनों को भी अपना समर्थन दिया।
- फ़्रांस से भारत द्वारा खरीदे जाने वाले सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी रक्षा उत्पाद राफेल लड़ाकू विमान और पी-75 स्कॉर्पीन परियोजना हैं।
- भारत और फ्रांस के बीच आपस में तीन अलग-अलग सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है जिसमें शक्ति, वरुण और गरुड़ सैन्य अभ्यास शामिल है ।
- फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के रिलायंस समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम, डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) का महाराष्ट्र के मिहान नामक स्थान पर एक विनिर्माण उद्योग है।

भारत – फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग :

- फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, सीएनईएस, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का संयुक्त अंतरिक्ष कार्य-क्रमों और उपग्रह प्रक्षेपणों का एक लंबा इतिहास है, जो पचास साल पुराना है।
- भारत और फ्रांस दोनों ने 2018 में “अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त दृष्टिकोण” जारी किया, जो नागरिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके साझा ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित था।
- जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करते हुए, जहां दोनों पक्ष संयुक्त मिशन मेघा-ट्रॉपिक्स और सरल-अल्टिका पर जलवायु निगरानी के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे, भूमि इन्फ्रारेड निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह का चल रहा शोध, और ओशनसैट 3-आर्गोस मिशन।
- फ्रांस और भारत द्वारा गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, सीएनईएस, वैज्ञानिक प्रयोग योजनाओं के विकास का समर्थन करेगी और भारतीय अंत-रिक्ष यात्रियों को फ्रांसीसी उपकरण, आपूर्ति और चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति करेगी।
- 2022 तक भारत के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता कर्मियों को प्रशिक्षित करने के विकल्प की प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन दोनों ने प्रशंसा की।

जलवायु – परिवर्तन के प्रति भारत और फ्रांस का दृष्टिकोण :

- भारत और फ्रांस दोनों ही देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ और पर्यावरण – संरक्षण को बढ़ावा देने में आपस में एक – दूसरे के प्रति आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
- एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट (AFD) जो वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के संरक्षण के लिए समर्पित एक मिशन है के साथ फ्रांस ने वर्ष 2008 से ही भारत में काम करना शुरू कर दिया है।
- सीओपी21 के दौरान नवंबर 2015 में सौर ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठ-

बंधन (ISA) के तहत भारत और फ़्रांस दोनों ही देशों ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है ।

- फ्रांस और भारत द्वारा साझा की जाने वाली प्राथमिकताओं में नीली अर्थव्यवस्था और तटीय लचीलापन शामिल हैं। वे समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान और महासागरों के बारे में अपनी समझ में भी अपना आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है ।

नीली अर्थव्यवस्था :

- **"ब्लू इकोनॉमी"** शब्द आर्थिक विकास, बढ़ी हुई आजीविका और रोजगार के अवसरों, और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महासागर संसाधनों और महासागर विकास पहलों के सतत उपयोग को संदर्भित करता है।
- यह एक समावेशी ढांचा प्रदान करता है जो तटीय देशों को सभी लोगों के लिए समुद्री संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की भी पुष्टि करता है, विशेष रूप से SDG14, **"पानी के नीचे का जीवन।"**
- यह विचार ज्यादातर पर्यावरणीय खतरों और महासागरीय पारिस्थितिकी कमी को कम करते हुए सामाजिक न्याय और मानव कल्याण में सुधार पर केंद्रित है।

भारत और फ्रांस के बीच आपसी सांस्कृतिक सहयोग :

- भारतीय संस्कृति के प्रति फ्रांस के नागरिकों और फ्रांसीसी लोगों में गहरी आस्था है।
- अपनी-अपनी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारत और फ्रांस सह-मेजबान त्योहार: नमस्ते फ्रांस ने 2016 के अंत में फ्रांस में भारत को प्रदर्शित किया, जबकि बोनजोर इंडिया 2017 के अंत और 2018 की शुरुआत में भारत में आयोजित किया गया था।
- पेरिस बुक फेयर 2021 में एक विशेष अतिथि के रूप में फ्रांस में भारत के द्वारा मेजबानी की गई , जबकि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में भारत में फ्रांस ने मेजबानी किया।
- श्री ए.एस. किरण कुमार को फ्रांस – भारत अंतरिक्ष सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए , फ्रांस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है।
- जीनस्टोर, एक भारतीय-आधारित डायग्नोस्टिक्स कंपनी, को फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ निवेश के रूप में मान्यता दी गई है ।
- सौमित्र चटर्जी, जो एक भारतीय हैं , को फ्रांस का सर्वोच्च कलात्मक सम्मान दिया गया है ।

भारत और फ्रांस के बीच आपस में शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग :

- भारत और फ्रांस के बीच हल के वर्षों में आपस में द्विपक्षीय शैक्षिक सहयोग में उतरोत्तर वृद्धि हुई है। भारत और फ्रांस के विश्वविद्यालयों और निजी संगठनों ने आपस में लगभग 300 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च (CEFIPRA), जो 25 वर्षों से परिचालित है, मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सीमांत प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिकों और पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान में सीमा पार वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- फ्रांसीसी और भारतीय दोनों विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान अपने तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं। भारत और फ्रांस ने आपस में "रमन-चारपाक फैलोशिप" की शुरुआत किया है, जो दोनों देशों के डॉक्टरेट छात्रों के आदान-प्रदान की अनुमति देगा।
- छात्रवृत्ति कार्यक्रमों और भारतीय और फ्रांसीसी शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग द्वारा समर्थित, 2025 तक 20,000 के लक्ष्य के साथ 2019 में 10,000 भारतीय छात्रों को फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में नामांकित किया गया है।
- भारत और फ्रांस ने आपस में शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (EEP) की शुरुआत की है। जिसमें डिग्री की पारस्परिक मान्यता, अनुसंधान कार्यक्रम को मजबूत करना और एक लचीली वीजा व्यवस्था के माध्यम से छात्र – विद्वान अनुसंधान गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है, द्विपक्षीय शैक्षिक सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 . भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन की भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है और गणतंत्र दिवस के सम्माननीय अतिथि के रूप में किसी फ्रांसीसी नेता की दसवीं यात्रा है।
2. भारत और फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
3. भारत और फ्रांस वर्ष 2024 में अपने आपसी रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्षगांठ मना रहा है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 और 2

(B). केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3 ।

(D). इनमें से सभी।

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

Q.1. " भारत – फ्रांस द्विपक्षीय बातचीत में हिंद महासागर चर्चा का प्राथमिकता क्षेत्र बन गया है क्योंकि दोनों देश समुद्री क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं।" इस कथन के आलोक में भारत – फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

जनसंख्या संबंधी प्राथमिकताएं: अंतरिम बजट 2024 और जनगणना

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, बजट, अंतरिम बजट, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, प्रजनन दर, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जनसांख्यिकीय लाभांश।

खबरों में क्यों ?

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने अंतरिम बजट भाषण कहा कि – **" तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।"**
- केंद्र सरकार द्वारा बार-बार दशकीय जनगणना को स्थगित किए जाने की पृष्ठभूमि में इस कथन के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
- भारत में सन 1881 के बाद यह पहली बार हुआ है जब किसी दशक में जनगणना नहीं कराया गया है।
- वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ है ।
- वर्ष 2020 में हुए नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (2019-21) यह दर्शाता है कि भारत में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) गिरकर 2 हो गई है।
- वर्तमान समय में भी कुछ राज्यों – बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) और मणिपुर (2.17) – का प्रजनन दर (टीएफआर) राष्ट्रीय प्रजनन दर (टीएफआर) की औसत दर से अधिक अर्थात 2.1 है।
- अब 20वीं शताब्दी में देखी गई उच्च जनसंख्या वृद्धि में लगभग नियंत्रण कर लिया गया है।

- सन 1950 की प्रजनन दर (टीएफआर) 5.7 से कम होकर अब वर्ष 2020 में प्रजनन दर (टीएफआर) 2 हो गया है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में यह आंकड़ा अलग-अलग है।
- भारत के दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1951 में 26 फीसदी से घटकर 2011 में 21 फीसदी हो गई है, जो मुख्य रूप से बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिणामों और शिक्षा की वजह से टीएफआर में तेजी से आई कमी का नतीजा है और यह स्थिति इन राज्यों में उच्च प्रवासन दर के बावजूद है।
- भारत की वर्तमान उल्लिखित सर्वेक्षण ठोस और जरुरी हैं, फिर भी वे व्यापक जनगणना का विकल्प नहीं हैं। जनगणना कराने में हो निरंतर देरी केंद्रीय गृह मंत्रालय की खराब स्थिति को दर्शाती है, जो भारतीय शासन के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बजाय अन्य प्राथमिकताओं से प्रेरित है।
- भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव और बढ़ती जीवन प्रत्याशा दर के फलस्वरूप कई चुनौतियां और कुछ अवसर भी उपस्थित हुए हैं।
- किसी भी विकासशील देश में जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ तभी मिलता है, जब उस देश की कामकाजी उम्र की आबादी का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात के लिए पर्याप्त नौकरियां हों और लोग कुछ हद तक उन सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ उठा पायें, जो बढती उम्र के बावजूद भी उनके लिए मददगार साबित हों।
- उच्च बेरोजगारी और उत्पादकता में वृद्धि करने वाली व कुशल रोजगार की जरूरतों को पूरा करने वाली गैर-कृषि नौकरियों के सृजन के पिछले कुछ सालों में अपेक्षाकृत सुस्त होने के कारण भारत में इस लाभांश के बर्बाद हो जाने की प्रबल संभावना है।
- अगर यह “उच्चाधिकार प्राप्त” समिति नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सवालों तथा तेजी से हो रहे शहरीकरण व काम के मशीनीकरण के चलते नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का हल निकालने में सार्थक रूप से संलग्न होती है, तो वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन अगर यह समिति जनसंख्या को धर्म और आप्रवासन दृष्टि से देखती है, तो यह सिर्फ देश में तेजी से घटते लोकतांत्रिक लाभांश का सदुपयोग करने से शासन और सरकार को भटकाएगी।
- वर्ष 2024 का अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया है , लेकिन यह 2019 के अंतरिम बजट के लोकलुभावन घोषणाएं से अलग है।
- वर्तमान सरकार का पूरा ध्यान देश में अवसंरचनात्मक या बुनियादी ढांचे के विकास पर केन्द्रित है। वित्त मंत्री ने कहा कि वो जुलाई बजट में विकसित भारत का विस्तृत रोडमैप पेश करेंगी।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा- **“ सरकार देश/ भारत को सिर्फ 4 जातियों में बांटकर देखती है – महिला, किसान, युवा और गरीब।’”**
- इस बार अंतरिम बजट (Interim budget) सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष अपना पहला अंतरिम बजट और भारत के वित्त मंत्री के रूप में छठवीं बार बजट पेश किया है।
- वर्ष 2019 में पिछला अंतरिम बजट अरुण जेटली के बीमार पड़ने के बाद वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सीतारमण को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने 5 जुलाई, 2019 को पूर्ण बजट पेश किया था.। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री के रूप में यह उनका पहला बजट था।

पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में मुख्य अंतर :

देश में होने वाले किसी भी आम चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है, जबकि पूर्ण बजट (यूनियन

बजट) किसी भी चुनी हुई सरकार द्वारा संसद में पेश किया जाता है। **पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में मुख्य अंतर निम्नलिखित है –**

1. पूर्ण बजट या केंद्रीय बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक बजट है, जबकि अंतरिम बजट आम चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाता है।
2. पूर्ण बजट या केंद्रीय बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है. जिसे 'वोट ऑन अकाउंट' (Vote on the account) भी कहा जाता है।
3. केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का विवरण विस्तार से दिया जाता है, जबकि अंतरिम बजट में पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय का एक सामान्य विवरण पेश किया जाता है. यह केवल सरकार की आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए पेश किया जाता है।
4. केन्द्रीय बजट हमेशा किसी पूरे एक वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, जिसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है, जबकि अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने की अवधि के खर्चों के लिए पेश किया जाता है।
5. केन्द्रीय बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा भी की जाती है और इसके लिए फंड भी निर्धारित किये जाते है, जबकि अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है।.
6. केंद्रीय बजट के दो अलग-अलग भाग होते है. उनमें से एक सरकार के खर्चों के बारें में होता है वहीं दूसरा भाग सरकार द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से धन जुटाने की योजना पर आधारित होता है, जबकि अंतरिम बजट में सरकार के आय के स्रोतों के विवरण की पूरी जानकारी नहीं दी जाती है।. इसे अगली सरकार के गठन से पहले के लिए सरकार के जरुरी खर्चों के लिए पेश किया जाता है.।
7. पूर्ण बजट संसद में बहुमत प्राप्त सरकार द्वारा पेश किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट अगले लोकसभा चुनाव और पिछली लोकसभा की समाप्ति के अवधि के दौरान वाले वर्ष में पेश किया जाता है।

वोट ऑन अकाउंट :

लेखानुदान अंतरिम बजट (Interim Budget in Hindi) के माध्यम से पारित किया जाता है। यह सरकार को वित्तीय – वर्ष के शेष दिनों के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने की अनुमति देता है। इसे संसद के निचले सदन में बिना किसी बड़ी चर्चा के पारित किया जाता है। एक नियमित बजट के विपरीत जहां बजट उचित चर्चा के बाद ही पारित किया जाता है। यह उस समय की सरकार को अग्रिम अनुदान की तरह है जब तक किअनुदान की मांग पर मतदान नहीं हो जाता और वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक संसद में पारित नहीं हो जाता। अनुदान की राशि सामान्यतः विभिन्न अनुदान मांगों के तहत पूरे वर्ष के लिए कुल अनुमानित व्यय का छठा हिस्सा होता है। एक वर्ष के लिए वैध नियमित बजट के विपरीत, लेखानुदान आमतौर पर दो महीने की अवधि के लिए वैध होता है।

अंतरिम बजट और लेखानुदान के बीच मुख्य अंतर :

अंतरिम बजट और लेखानुदान बजट प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। **अंतरिम बजट और लेखानुदान में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है –**

1. अंतरिम बजट (Interim Budget in Hindi) तब पारित किया जाता है जब सरकार के लिए आम चुनाव के समय पूर्ण बजट पेश करना संभव नहीं होता है। जबकि लेखानुदान अंतरिम बजट (Interim Budget in Hindi) के माध्यम से पारित किया जाता है। यह वित्तीय वर्ष के शेष भाग के खर्चों को पूरा करने के लिए दिन की सरकार के लिए संसदीय अनुमोदन चाहता है।

2. अंतरिम बजट में प्राप्तियां और व्यय विवरण दोनों शामिल होते हैं। जबकि लेखानुदान केवल सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय विवरणों को सूचीबद्ध करता है।

3. बजट पर संसद के निचले सदन में चर्चा की जानी चाहिए और सरकार को अपने प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए इसे पारित किया जाना चाहिए। जबकि चूंकि लेखानुदान को एक औपचारिक मामले की तरह माना जाता है, इसलिए इसे संसद के निचले सदन द्वारा बिना किसी चर्चा के पारित किया जा सकता है।

4. सरकार के पास बजट में भी कर प्रशासन में बदलाव करने का पर्याप्त अधिकार है। जबकि लेखानुदान को प्रत्यक्ष लागत में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। प्रत्यक्ष कर में कोई भी परिवर्तन केवल वित्त विधेयक द्वारा ही लाया जा सकता है।

5. यह एक बजट की तरह है जो एक संक्रमण अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि इसे नियमित बजट की तरह ही पूरे साल के लिए पेश किया जाता है। जबकि लेखानुदान अंतरिम बजट (Interim Budget in Hindi) के माध्यम से पारित किया जाता है।

जनगणना :

- जनगणना का अर्थ – किसी भी देश के लोगों / नागरिकों की कुल संख्या की गिनती करना है। यह किसी भी देश के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, उसके संकलन, विश्लेषण और प्रसारित करने की प्रक्रिया है।

- यह जनसंख्या की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालती है।

- भारत में किया जाने वाला जनगणना पूरी दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।

क्रियान्वयन मंत्रालय :

- भारत में भारत की दशकीय जनगणना का क्रियान्वयन और संचालन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय,द्वारा किया जाता है।

- भारत की दशकीय जनगणना भारत के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सन 1951 में प्रत्येक दस वर्ष पर जनगणना के लिए जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी, जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है।

जनगणना से जुड़े कानूनी/ संवैधानिक प्रावधान :

- स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 को विधेयक के रूप में पेश किया गया था।
- भारत में जनगणना भारत के संघ सूची का विषय है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत उल्लिखित है।
- भारत में पूरे देश भर में जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 के उल्लिखित प्रावधानों के द्वारा किया जाता है।
- भारत के संविधान में जनगणना भारत की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है।

दंड का प्रावधान और एकत्र की गई सूचना की गोपनीयता की गारंटी :

- भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत व्यक्तियों / नागरिकों से जुटाई / एकत्र की गई सूचना को गोपनीयता की गारंटी दी जाती है। इस कानून के तहत सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए इस नियम गैर-अनुपालन करने की स्थिति में या अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।
- जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कि यह भारत के उच्चतम और उच्च न्यायालयों के लिए भी सुलभ नहीं होती है।

भारत में जनगणना का क्रमिक इतिहास :

प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास :

- भारत के प्राचीन साहित्य 'ऋग्वेद' से भारत में 800-600 ईसा पूर्व के दौरान किए गए जनसंख्या गणना की जानकारी प्राप्त होता है ।
- कौटिल्य' द्वारा लिखे गए 'अर्थशास्त्र' से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व 'में किए गए कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आँकड़ों का संग्रहण निर्धारित किया गया था की जानकारी प्राप्त होती है ।
- मध्यकाल में मुगल बादशाह अकबर के शासन काल के प्रशासनिक रिपोर्ट 'आइन-ए-अकबरी' में भारत की जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़ों की जानकारी प्राप्त होती है ।

भारत के स्वतंत्रता – पूर्व की जनगणना :

- भारत में जनगणना का इतिहास लगभग 1800 ई. से शुरू हुआ जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना शुरू की थी।
- भारत में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद (वर्ष 1824) और बनारस (वर्ष 1827-28) में जनगणना करवाई गई थी ।
- एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका (अब बांग्लादेश में) में पूरी की गई थी।
- फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा वर्ष 1836-37 में भारत की दूसरी जनगणना पूरी करवाई गई थी ।

- भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को वर्ष 1849 में जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया था ।
- गवर्नर-जनरल लॉर्ड मेयो के शासन काल के दौरान वर्ष 1872 में भारत की पहली गैर-तुल्यकालिक जनगणना करवाई गई थी।
- 17 फरवरी, 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत डब्ल्यू.सी. प्लौडेन (भारत के जनगणना आयुक्त) द्वारा भारत की पहली तुल्यकालिक जनगणना करवाई गई।
- भारत में यह तब से अब / वर्त्तमान समय तक हर दस साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है।

भारत में पहली जनगणना (वर्ष 1881):

- भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के पूरे महाद्वीप (कश्मीर, फ्रेंच तथा पुर्तगाली उपनिवेशों को छोड़कर) की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर विशेष बल देकर पहली बार जनगणना की गई थी ।

दूसरी जनगणना (वर्ष 1891):

- भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ही दूसरी जनगणना वर्ष 1881 में पहले की तरह ही समान प्रणाली पर ही आयोजित की गई थी।
- इसमें सभी लोगों को शत – प्रतिशत शामिल किया गया था और वर्तमान बर्मा के ऊपरी हिस्से, कश्मीर और सिक्किम को भी शामिल किया गया था।

तीसरी जनगणना (वर्ष 1901) :

- भारत में तीसरी बार हुए जनगणना में बलूचिस्तान, राजपूताना, अंडमान निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के सुदूर इलाकों को भी शामिल किया गया था।

पाँचवीं जनगणना (वर्ष 1921) :

- भारत की जनसंख्या वर्ष 1921 की जनगणना तक लगातार बढ़ रही थी और वर्ष 1921 की जनगणना के बाद भी यह वृद्धि जारी है। यह वह दशक था जब वर्ष 1918 में फ्लू महामारी का प्रकोप फैला हुआ था, जिसमें कम-से-कम 12 मिलियन लोगों की जान गई थी। 1911-21 का दशक अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है, जिसमें जनसंख्या में 0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई।
- वर्ष 1921 के जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में **"द ग्रेट डिवाइड"** या '**महान विभाजक वर्ष**' भी कहा जाता है।

ग्यारहवीं जनगणना (वर्ष 1971) :

- भारत की स्वतंत्रता के बाद यह भारत की दूसरी जनगणना थी।
- इसमें विवाहित महिलाओं की प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के लिए पहली बार एक प्रश्न के रूप में एक कॉलम जोड़ा गया था।

13वीं जनगणना (वर्ष 1991) :

- वर्ष 1981 की तुलना में जब चार या चार वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना जाता था इस जनगणना में पहली बार साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया और सात या सात से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना गया।

- यह स्वतंत्र भारत की पाँचवीं जनगणना थी।

14 वीं जनगणना (2001) :

- भारत की चौदहवीं जनगणना में पहली बार प्रौद्योगिकी के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ था ।
- इस जनगणना में हाई स्पीड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया था और शेड्यूल के हस्तलिखित डेटा को इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग (ICR) के माध्यम से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया था।
- इसमें एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग (ICR) छवि फाइलों से हस्तलेखन को कैप्चर्ड किया गया था।
- इस जनगणना में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) तकनीक के एक उन्नत संस्करण का प्रयोग किया गया जिसमें मुद्रित वर्ण कैप्चर किए जाते हैं।

15वीं जनगणना (वर्ष 2011) :

- वर्ष 2011 की जनगणना में EAG राज्यों (अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह/Empowered Action Group): उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा) के मामले में पहली बार महत्त्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी।

सोलहवीं जनगणना (2021) :

- इस जनगणना 2021 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था।
- इसमें पहली बार डिजिटल रूप में जनगणना होगी, जिसमें स्व-गणना का भी प्रावधान है ।
- इसमें पहली बार पहली ऐसे परिवार और परिवारों में रहने वाले सदस्यों की जानकारी एकत्र की जाएगी, जिसका मुखिया कोई ट्रांसजेंडर हो।
- इस जनगणना से केवल पुरुष और महिला के लिए ही कॉलम था।
- इस जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर या तृतीय लिंगी या अन्य लिंग के लिए भी कॉलम जोड़ा गया है।
- इस जनगणना को अभी तक सार्वजानिक नहीं किया गया है ।

भारत के जनगणना का महत्त्व :

सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत : भारतीय जनगणना भारत के नागरिकों या लोगों के बारे में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा एकल स्रोत है।

विभिन्न शोधकर्त्ता जनसंख्या के विकास और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और अनुमान लगाने के लिए जनगणना के आँकड़ों का उपयोग करते हैं।

योजना और नीति निर्माण तथा सुशासन में सहायक : भारत में जनगणना के माध्यम से जुटाई गई जानकारी का उपयोग प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के साथ-साथ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अतः भारत की जनगणना भारत में किसी भी प्रकार की योजना बनाने और नीति निर्माण करने तथा सुशासन कायम रखने में सहायक है।

निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन तथा प्रतिनिधित्व हेतु आवंटन में सहायक : भारत की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग किसी भी निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व हेतु आवंटन के लिए भी किया जाता है।

व्यवसाय तथा उद्योग के स्थापना के लिए सहायक: भारत की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग किसी भी व्यवसाय तथा उद्योग के स्थापना के लिए बेहतर पहुँच में सहायक होता है। व्यावसायिक घरानों और उद्योगों के लिए उन क्षेत्रों, जहाँ अब तक उनकी पहुँच नहीं थी, में अपने व्यवसाय को मज़बूती प्रदान करने हेतु योजना बना सके में सहायक होता है ।

राज्यों को अनुदान प्रदान करने में सहायक: भारत में केन्द्रीय वित्त आयोग भारत की जनगणना के माध्यम से उपलब्ध जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। अतः भारत की जनगणना भारत में राज्यों को अनुदान प्रदान करने में सहायक होता है।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) :

- सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) वर्ष 1931 के बाद पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी।
- इसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी भारत के प्रत्येक भारतीय परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है तथा उनकी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है – :
- आर्थिक स्थिति के बारे में ताकि केंद्र/राज्य प्राधिकरण इसका उपयोग गरीब/गरीबी या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए कर सकें और इसके लिए विभिन्न प्रकार के संकेतक विकसित किये जा सकें।
- विशिष्ट जाति का नाम, सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से बदतर स्थिति में हैं और कौन से बेहतर स्थिति में है का पता लगाने के लिए किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतरिम बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. अंतरिम बजट आम चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाता है।
2. अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के लगभग 3 से 4 महीने की अवधि के खर्चों के लिए पेश किया जाता है।
3. अंतरिम बजट में किसी भी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती है।.
4. अंतरिम बजट में सरकार के आय के स्रोतों के विवरण की पूरी जानकारी नहीं दी जाती है।.

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1, 3 और 4

(B). केवल 2, 3 और 4

(C) इनमें से कोई नहीं।

(D) इनमें से सभी ।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 . बजट से आप क्या समझते हैं ? आम बजट और अंतरिम बजट में मुख्य अंतर को रेखांकित करते हुए बजट का जनसंख्या लाभांश पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।